महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

(दिसम्बर, 2013 से अगस्त, 2015 तक)

प्रशासनिक सुधार विभाग

- **राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011**– दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 से 31.07.2015 की अवधि में 16702384 आवेदन दर्ज किये जाकर 16704299 निस्तारित किए गए हैं।

- **राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012–** दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 से 31.07.2015 तक कुल 157892 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 156862 निस्तारित किए गए हैं।

कृषि विभाग

- **बीज वितरण एवं बीज प्रतिस्थापन दर** – राज्य के किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने एवं बीज प्रतिस्थापन दर बढाने हेतु विभिन्नि फसलों (तिलहन, दलहन, खाद्यान) का आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन एवं अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज वितरण के तहत खरीफ 2013 में कुल 6. 24 लाख क्विटल बीज वितरण किया गया। रबी 2013–14 में 13.98 लाख क्विंटल तथा खरीफ 2014 में 6.07 लाख क्विंटल बीज का वितरण किया गया। रबी 2014–15 में मार्च, 2015 तक 14.75 लाख क्विंटल बीज वितरण हुआ है। खरीफ 2015 में 7.75 लाख क्विंटल बीज वितरण योजना के विरूद्ध माह अगस्त, 2015 तक 4.50 लाख क्विंटल बीज वितरण हुआ है।

- **उन्नत बीज वितरण के विशेष अभियान –** खरीफ 2013 में बांसवाडा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ, सिरोही के जनजाति कृषकों एवं गैर जनजाति बीपीएल कृषकों तथा बांरा जिले के किशनगंज एवं शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति कृषकों को **40676 क्वि. बीज वितरण** (5 किग्रा प्रति कृषक) **कर 8.13 लाख कृषकों को लाभान्वित** किया गया है। खरीफ 2014 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत **41956 क्विंटल निःशुल्क मक्का बीज वितरण** (5 कि.ग्रा. प्रति कृषक) कर 8.39 लाख कृषकों को एवं खरीफ

2015 में अगस्त, 2015 तक 8000 क्वि. संकर मक्का का बीज वितरण कर 1.60 लाख कृषकों लाभान्वित किया जा चुका है।

- 21 जिलों में क्रियान्वित **मौसम आाधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत** दिसम्बर, 2013 से माह अगस्त, 2015 तक 107.53 लाख कृषकों को अनुमानित **1335.09 करोड़ रूपये का मुआवजा** दिया गया।

- 12 जिलों में क्रियान्वित **संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत** दिसम्बर, 2013 से माह अगस्त, 2015 तक 16.93 लाख कृषकों को अनुमानित **398. 10 करोड़ रूपये का बीमा क्लेम** दिया गया।

- **महिला सशक्तिकरण**– कृषि विकास की विभिन्न योजनाओं यथा– बीज, मिनिकिट, कृषि प्रदर्शन, कृषि यंत्र, पौध संरक्षण उपकरण आदि की स्वीकृ तियां महिलाओं के नाम पर जारी की जा रही है। माह दिसम्बर, 2013 से अगस्त, 2015 तक कुल 2238649 **बीज मिनिकिटों का महिला कृषकों को निःशुल्क वितरण** किया गया।

- कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को 10+2 कृषि, स्नातक एवं स्नातकोत्तर कृषि तथा पीएचडी करने वाली छात्राओं को माह दिसम्बर, 2013 से **माह** अगस्त, 2015 तक **12573 छात्राओं को 744.14 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि का वितरण** कर लाभान्वित किया गया।

- स्नातक एवं स्नातकोत्तर कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को 10000 के बजाय 12000 रूपये प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया।

- माह दिसम्बर, 2013 से माह अगस्त, 2015 तक **30 महिला भ्रमण दल भिजवाये जाकर 1280 महिला कृषको को लाभान्वित किया** गया।

- माह दिसम्बर, 2013 से माह अगस्त, 2015 तक **4,82,820 महिलाओं को एक दिवसीय तथा 1350 महिलाओं को दो दिवसीय कृषक प्रशिक्षण** के माध्यम से लाभान्वित किया गया।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन योजनान्तर्गत खरीफ एव रबी 2014–15 में **98487 कलस्टर फसल प्रदर्शनों तथा फसल पद्धति आधारित 1917 प्रदर्शनों का आयोजन** किया गया।

- रबी 2014–15 में **77500 चना फसल प्रदर्शनों तथा 3100 चना मिनिकिट प्रदर्शनों का आयोजन** किया गया।

- राष्ट्रीय कृषि विकास **योजनान्तर्गत बारानी क्षेत्र विकास कार्यक्रम** (RADP) में वर्षा आधारित क्षेत्र में कृषकों की आय में वृद्धि हेतु रबी 2013–14 में फसल विशेष आधारित फसल पद्धति प्रदर्शनों के आयोजन हेतु गेहूँ का 45000 क्विं. जौ 2187 क्विं. सरसों 396 क्विं. चना 5440 क्विं. तथा तारामीरा 125 क्विं. बीज वितरण किया गया।

- खरीफ 2014 में RADP **अन्तर्गत** फसल विशेष आधारित फसल पद्धति प्रदर्शनों के आयोजन हेतु ज्वार का 181 क्विंटल, मोठ का 150 क्विं तथा मूंग का 200 क्विंटल बीज वितरण किया गया। रबी 2014 में चना 528, गेहूँ 500 क्विं, तथा 95 क्विं. सरसों का बीज कृषकों को वितरित किया गया।

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत **त्वरित चारा विकास कार्यक्रम** (AFDP) अन्तर्गत रबी 2013 में AFDP योजनान्तर्गत रिजका, जई एवं बरसीम के लगभग 348489 चारा बीज मिनिकिटों का वितरण किया गया। साथ ही जिलों की अतिरिक्त मांग के अनुसार राज्य योजनान्तर्गत कुल 2.85 लाख चारा बीज मिनिकिट (रिजका) का वितरण कृषकों को किया गया है। खरीफ–2014 में AFDP अन्तर्गत 32500 बाजरा चारा मिनिकिटो का वितरण किया गया।

- **उर्वरकों का कुशल प्रबंधन**– बुआई के समय पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2013–14 में 1.5 लाख मै. टन डीएपी, 2.70 लाख मै. टन यूरिया के अग्रिम भंडारण हेतु आईपीएल, इफको, जीएसएफसी व राजफैड के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध किया गया। माह दिसम्बर, 2013 से अगस्त, 2015 तक **50.05 लाख मै. टन उर्वरक कृषकों में वितरित** किया गया।

- **जिप्सम वितरण कार्यक्रम–** किसानों को जिप्सम क्षरीय भूमि सुधार हेतु एवं तिलहनी, दलहनी एवं गेहूँ की फसलों में पोषक तत्व के रूप में उपयोग हेतु कुल दर का 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। माह

दिसम्बर, 2013 से अगस्त, 2015 तक 202402 मैट्रिक टन जिप्सम का वितरण किया गया।

- **मृदा परीक्षण कार्यक्रम**– सन्तुलित खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग से प्रति ईकाई गुणवत्ता पूर्वक अधिक उत्पादन प्राप्त करने की दृष्टि से मृदा परीक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 33 विभागीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाऐं कार्यरत है, जिनकी वार्षिक क्षमता 3.5 लाख नमूने प्रतिवर्ष है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की योजना मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंध के तहत राज्य में पीपीपी मोड पर 12 भ्रमणशील मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाऐ कार्य कर रही है, जिनकी वार्षिक क्षमता 60000 नमूने प्रतिवर्ष है तथा 11 स्थिर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं का संचालन पीपीपी मोड पर कार्य कर रही है, इनकी वार्षिक क्षमता 1.04 लाख नमूने प्रतिवर्ष है। माह दिसम्बर, 2013 से जुलाई, 2015 तक 489589 **मृदा स्वस्थ्य कार्ड कृषकों को उपलब्ध** कराये गये है।
- **जल का कुशलतम उपयोग** – माह दिसम्बर, 2013 से माह अगस्त, 2015 तक **8780 कि.मी. पाईपलाईन पर कृषकों को अनुदान** वितरित किया जा चुका है।
- दिसम्बर, 2013 से माह अगस्त, 2015 तक **4212 डिग्गियों, 7436 फार्म पौण्ड एवं 2042 जल हौज पर अनुदान कृषकों को वितरित** किया गया।

कृषि विपणन बोर्ड

- राज्य में कृषि उपज मण्डी समितियों के अंतर्गत **मण्डी यार्डों के विकास कार्यों पर 557.46 करोड़ रूपये** व्यय किये गये हैं, जिसमें 482.77 करोड़ रूपये मण्डी यार्ड एवं भवन निर्माण तथा 74.69 करोड़ रूपये सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत पर व्यय किये गये।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत **4000 मैट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज भवानी मण्डी का कार्य पूर्ण** तथा बाड़मेर का कार्य प्रगति पर है। आलोच्य अवधि में इन कार्यों पर 1110.80 लाख रूपये व्यय हुए हैं।
- एक **वेक्सिंग यूनिट** का भवानीमण्डी में निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।

- **फल–सब्जी का निर्यात** राज्य से उत्पादित ताजा फल एवं सब्जियों के निर्यात को प्रोत्साहन हेतु राज्य में उत्पादित फल एवं सब्जियों का जयपुर एवं दिल्ली से हवाई मार्ग से निर्यात पर 3.50 रूपये प्रति किलोग्राम अथवा FOB वेल्यू का 20 प्रतिशत तक अनुदान इनमें से जो भी कम हो, 10 लाख रूपये प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा तक 3 वर्ष तक अनुदान देने का प्रावधान है। फल–सब्जी निर्यात योजना के अन्तर्गत आलोच्य अवधि में 55569 किलोग्राम ताजा फल एवं सब्जियों का निर्यात किया गया।

- कृषकों/खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य अथवा मण्डीं प्रांगण में विपणन कार्य करते समय, गांव से मण्डीं तक विक्रय करने के अगले दिन तक लौटते हुए दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों के जरिये सहायता प्रदान की जाती है। सहायता राशि 5 हजार रूपये से 2 लाख रूपये तक दी जा रही है। आलोच्य अवधि में योजना के अन्तर्गत 3424 व्यक्तियों को राशि 2239.94 लाख रूपये की आर्थिक सहायता का संबंधित मण्डियों को पुर्नभरण किया गया।

कृषि विपणन निदेशालय

- कृषि विपणन विभाग में **मण्डी शुल्क से 866.22 करोड़ रूपये एवं एगमार्क वर्गीकरण शुल्क से 107.43 लाख रूपये की आय** प्राप्त हुई।

- **'किसान कलेवा योजना'** जो 20.01.2014 से लागू की गई है, के अन्तर्गत राज्य की 'विशिष्ठ', 'अ' व 'ब' श्रेणी की मण्डियों में, फल एवं सब्जी मण्डियों को छोडकर मण्डी प्रागंणों में अपनी उपज विक्रय करने हेतु आने वाले कृषकों एवं मण्डी प्रांगण में कार्यरत हम्मालों/पल्लेदारों/तौला को रियायती/**अनुदानित दर 5 रूपये प्रति थाली पर भोजन** उपलब्ध कराया जाता है। शेष राशि 25 रूपये प्रति व्यक्ति/थाली तक मण्डी समिति द्वारा वहन की जाती है। उक्त योजनान्तर्गत फरवरी, 2014 से जुलाई, 2015 तक **25,36,144 व्यक्तियों को लाभान्वित** किया गया है।

- राज्य के सरसों उत्पादित क्षेत्र के मुख्य मण्डी प्रांगणों में सरसों में तेल प्रतिशत की जांच हेतु **16 ऑयल टेस्टिंग लेब की स्थापना** की गई है।

- **ज्योतिबा फुले फल एवं सब्जी मण्डी, मुहाना जयपुर** परिसर में **पृथक से पुष्प मण्डी प्रागंण की स्थापना** कर भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका है।
- **तीन स्वतन्त्र कृषि उपज मण्डी समितियां** क्रमशः चौमहला(झालावाड),शाहपुरा (भीलवाडा) एवं देई(बूदी) में स्थापित की गई है।
- कृषि उपज मण्डी समिति **रानीवाडा** के अन्तर्गत **जालेरा कलां** एवं फलोदी के अन्तिर्गत **बाप** को **नए गौण मण्डी प्रांगण** के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- कृषि उपज मण्डी् समिति उदयपुर के गौण मण्डी गोगुन्दा का नामांकरण महाराणा प्रताप राजतिलक गौण मण्डी गोगुन्दा किया गया।
- कृषि उपज मण्डी समिति **कपासन में अजवाईन विशिष्ट मण्डी प्रांगण** की **स्थापना की स्वीकृति** जारी कर दी गई है।
- कानून की धारा 3 के अन्तर्गत लघु वन उपज को अधिसूचित कर **लघु वन उपज के विपणन का राज्य में नियमन** किया गया है।
- **कृषि कार्य** में दुर्घटना के अन्तर्गत **मृत्यु होने पर** आश्रित को देय **वित्तीय सहायता को एक लाख से बढाकर दो लाख** किया गया है।
- मण्डी समितियों के अध्यक्षों का मानदेय कृषि उपज मण्डी समिति विशिष्ट एवं अ श्रेणी के लिए 6000 रूपये एवं ब,स एवं द श्रेणी के लिये 4000 रूपये प्रतिमाह किया गया है।
- मण्डियों में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्मालों एवं पल्लेदारों की सहायतार्थ महात्मा ज्योतिबा फूले **मण्डी श्रमिक कल्याण योजना, 2015 लागू** की गई है।

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड

- जायद 2015 में 1800 क्विंटल बीज एवं खरीफ–2015 में 84623 क्विंटल बीज का विक्रय किया गया है।

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम

- राज्य के 31 जिलों में वर्तमान में **91 स्थानों पर निगम के भण्डारगृह** कार्यरत है जिनकी **औसत भण्डारण क्षमता** माह जून, 2015 में **10.95 लाख मैट्रिक टन** है। माह जून, 2015 में भण्डारण क्षमता की उपयोगिता 94 प्रतिशत रही है।

पशुपालन विभाग

- प्रदेश की **908 गौशालाओं में पाइका रोग नियंत्रण कार्यक्रम** चलाया गया।
- 25 फरवरी 2014 को एक ही दिन को 5012 शिविर आयोजित किये गये। जिसमें 11.56 लाख पशुओं की चिकित्सा तथा 4.93 लाख पशुओं का टीकाकरण करते हुए कुल 1.87 लाख पशुपालकों को लाभान्वित किया गया।
- प्रदेश के **1006** केन्द्रों **को क्रियाशील करते हुये कृत्रिम गर्भाधान कार्य प्रारंभ** किया गया।
- प्रदेश में **1657 ट्रेविस पशु चिकित्सा संस्थाओं**, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों एवं ग्राम पंचायतों पर स्थापित किया गया।
- प्रदेश में **बकरी वितरण योजना** (10 मादा तथा 1 नर) प्रारंभ की गई।
- **गोपालन विभाग की स्थापना** की गई।
- **ऊंट को राजकीय पशु घोषित** किया गया।
- प्रदेश में **खुरपका व मुंह पका रोग की रोकथाम** के लिये एफ एम डी– सी पी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।
- दिनांक 23 व 24 दिसम्बर, 2014 को **प्रदेश की 1549 गौशालाओं में पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन** कर 16650 पशुओं का बांझपन उपचार, 87652 पशुओं में पाईका उन्मूलन कार्य, 1.41 लाख पशुओं की डिवर्मिंग तथा 36458 पशुओं का उपचार किया गया।

- राजस्थान **ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम**, 2015 विधानसभा में दिनांक 27.3.2015 को पारित किया गया।

- 16 मई, 2015 को पशु चिकित्सा सुविधा हेतु **कॉल सेंटर के मार्फत मोबाईल वेटेनरी सेवा** टोंक जिले की 2 तहसीलों उनियारा तथा देवली में **पायलट योजना** प्रारंभ की गइ।

राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन

- **दुग्ध भुगतान में रिकार्ड बढोत्तरी**– प्रदेश के दुग्ध उत्पादक किसानों को दिसम्बर, 2013 से जुलाई, 2015 तक 7839.4 करोड़ रूपये का दुग्ध् भुगतान किया गया।

- **दुग्ध उत्पादकों को अधिकतम खरीद मूल्य – दिसम्बर**, 2013 से जुलाई, 2015 तक औसतन क्रय दर रूपये 557 प्रति किलोग्राम फैट से भुगतान किया गया। वित्तीय वर्ष 2015–16 के माह जुलाई, 2015 तक औतसन 546 रूपये प्रति किलोग्राम फैट के हिसाब से दुग्ध उत्पांदकों को भुगतान किया गया।

- **रिकार्ड दुग्ध संकलन एवं बिक्री** – वित्तीय वर्ष **2015**–16 के माह जुलाई, 2015 तक औसतन दूध संकलन 21.61 लाख लीटर प्रतिदिन एवं दूध बिक्री 19.18 लाख लीटर प्रतिदिन रही है।

- **बल्क मिल्क कूलर्स की स्थांपना पर बल** – दूध की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु 21 दुग्ध संघों पर माह जुलाई, 2015 तक कुल 1519 बल्क मिल्क कूलर स्थापित हो चुके है जिनसे प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति स्तेर पर बल्क मिल्क कूलर्स की स्थापना से राज्य् के दूरदराज के क्षेत्रों के दुग्धत उत्पादकों को सहकारी डेयरी आन्दोलन से जोडा जाना संभव हो सकेगा।

- **दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की उच्च गुणवत्ता पर विशेष ध्यान** – डेयरी फैडरेशन द्वारा आम उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्तायुक्त दूध एवं दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति स्तर पर ही अच्छी गुणवत्ता का दूध क्रय किये जाने के लिए अत्याधुनिक उपकरण लगाये जा रहे है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत दुग्ध

समितियों, डेयरी प्लाण्ट एवं पशुआहार संयन्त्रों की प्रयोगशालाओं में अत्याधुनिक उपकरण खरीदे जा रहे है।

- **दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की उच्च गुणवत्ता**– सरस दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की उच्च गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। इस हेतु लगभग 2.20 करोड़ रूपये की लागत से अत्याधुनिक मिल्कों स्केन (एफ.टी.120) व 3 मिल्क स्के्न माईनर्स लगाये गये है जिससे दूध में मिलावट का जल्दी से जल्दी पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही की जा सके। **राजस्थान राज्य देश में** इस तरह के **अत्याधुनिक उपकरण लगाने वाला गुजरात के बाद दूसरा राज्य** है।

- **गो–संरक्षण एवं नस्ल सुधार**– राज्य में भारत की प्रमुख देशी गो–वंश, राठी, गिर, थारपारकर, कांकरेज एवं नागौरी का उपलब्ध होना प्रदेश के लिए एक वरदान है। इन नस्लों की महत्तो को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा इनके संवर्धन हेतु 7.00 करोड़ रूपये की लागत का नारवा खिचियान (जोधपुर) में 10 लाख सीमन डोजेज प्रति वर्ष क्षमता का देशी नस्ल का जर्म प्लाज्म स्टेशन स्वींकृत किया गया है, जिसका सीमन उत्पादन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बस्सी में पूर्व से कार्यरत 25 लाख फ्रोजन सीमन डोजेज प्रतिवर्ष उत्पाादन क्षमता वाले केन्द्र में, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के सहयोग से, राठी नस्ला संवर्धन हेतु सांण्डों की वंशावली परीक्षण कार्यक्रम (प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम) संचालित किया जा रहा है, जो नस्ल सुधार में अत्यन्त सहायक होगा।

- **सरस सुरक्षा कवच (जनश्री) बीमा** के तहत माह अक्टूबर, 2014 से जुलाई, 2015 तक 146001 सदस्यों का बीमा किया गया है।

- **सरस सुरक्षा कवच (दुघर्टना) बीमा** में माह दिसम्बर, 2014 से जुलाई, 2015 तक 134724 सदस्यों का बीमा किया गया है।

- **सरस सामूहिक आरोग्य बीमा** योजना 15 जुलाई, 2014 से प्रारंभ की जाकर जुलाई, 2015 तक 24657 सदस्यों का बीमा किया गया है।

मत्स्य विभाग

- बचत कम राहत योजना के तहत **अनुसूचित जनजाति के 993 मछुआरों को रूपयों 10.99 लाख का अनुदान वितरित** किया गया। योजना के तहत वर्ष 2014–15 में 1180 आदिवासी मछुआरों को लाभान्वित किया गया।
- राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान बल्लभनगर, उदयपुर के सहयोग से **101 मछुआरों को प्रशिक्षण** दिया गया।
- वर्ष **2014–15** में राज्य का **मत्स्य उत्पादन 46313.82 मैट्रिक टन** प्राप्त हुआ है।

पुरातत्व एवं संग्राहलय विभाग

- जर्नाद्धन राय नागर विश्वविद्यालय उदयपुर के संयुक्त सहयोग से पुरास्थल चन्द्रावती –सिरोही में प्रथम चरण का उत्खनन कार्य करवाया गया। Alwar and its art treasure, illustrations of the textile manufactures of India and Asian Carpets XVI and XVII Century Design from the Jaipur Palace नामक **दुर्लभ पुस्तकों का डिजिटाईजेशन** कार्य करवाया गया।
- केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत **संग्रहालय मण्डोर–जोधपुर एवं संग्रहालय–भरतपुर में संरक्षण एवं विकास कार्य करवाये** गये है। प्रथम फेज के कार्य पूर्ण हो चुके है।
- राणा सांगा पैनोरमा–भरतपुर, सफेद महल–भरतपुर, वैर किला–भरतपुर, संग्रहालय–माउण्ट आबू, मउबोरदा एवं दलहनपुर–झालावाड में संरक्षण एवं विकास कार्य सम्पादित करवाये जा रहे है।
- केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत गागरोन किला–झालावाड, गढ पैलेस–झालावाड, डीग किला–भरतपुर, कालाजी बावडी एवं नारूजी की बावडी–बून्दी, कोरटा बावडी एवं नोडवी बावडी–पाली, पुरातात्विक स्थल–नाडोल–पाली, बावडी एवं कुण्ड–घानेराव–पाली, मकरमण्डी माता मन्दिर–निमाज–पाली, तोपखाना–जालौर, झालरा बाव, रतनबाव, सरजा बाव, धरावती बावडी एवं कनक बावडी–सिरोही, सूर्य मन्दिर वर्माण–सिरोही, चन्द्रावती–सिरोही, वसन्तगढ–आबू रोड, मूसी महारानी की छतरी–अलवर,

सागर का विकास–अलवर, किशन कुण्ड–अलवर, फतेहजंग गुम्बद–अलवर एवं मुगलगेट–विराटनगर में संरक्षण एवं विकास कार्य प्रगति पर है।

- भारत सरकार द्वारा की **सांभर (जयपुर) के समग्र विकास हेतु 21.50 करोड़ रूपये परियोजना स्वीकृत** है, प्रथम चरण में 869 लाख के संरक्षण एवं विकास कार्य प्रगति पर है।

- पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा **27.68 करोड़ रूपये के संरक्षण एवं विकास कार्य करवाये** गये है।

आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

- **25 पंचकर्म केन्द्रों तथा 10 आंचल प्रसूता केन्द्रों का सुदृढीकरण** कर रोगियों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। **10–10 नवीन पंचकर्म एवं आचल प्रसूता केन्द्रों की स्वीकृति जारी** कर बजट आवंटित कर दिया गया है।

- आयुर्वेद विभाग द्वारा 14, होम्योपैथिक विभाग द्वारा 3 तथा यूनानी चिकित्सा विभाग द्वारा 3 मोबाईल चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं दी गई।

- आयुर्वेदिक चिकित्सा का लाभ घर बेठे ही आमजन को उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से **राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर में ई–परामर्श केन्द्र प्रारम्भ** किया गया।

- आयुष चिकित्सा पद्धति के प्रचार प्रसार एवं आमजन को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 28 फरवरी से 03 मार्च, 2014 तक बिडला ऑडिटोरियम, जयपुर में **राज्य स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन** किया गया।

- **विभागीय वेबसाईट पर आमजन के लिए आवश्यक घरेलू चिकित्सा सुविधा** उपलब्ध कराने की दृष्टि से **रोगों के निदान हेतु सूचना उपलब्ध** करायी जा रही है।

- राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में युवाओं को रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से **पंचकर्म तकनीकी सहायक सर्टिफिॅकेट कोर्स, एक वर्ष का योग**

एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रमाण पत्र कोर्स एवं चार वर्ष की बी.एस.सी नर्सिंग आयुर्वेद प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ कर दिया गया है। पंचकर्म तकनीकी सहायक पाठयक्रम में 20 विद्यार्थियों को तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रमाण–पत्र में 21 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है।

- जनजाति उपयोजना क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण जनों को आयुर्वेद चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में **एक नवीन मोबाईल चिकित्सा वैन प्रारम्भ** की गई है।

नागरिक उड्डयन विभाग

- राज्य सरकार के हवाई बेडे को **एयर टेक्सी** के रूप में चलाया जा रहा है।

सिंचित क्षेत्र विकास विभाग

- **सिंचित क्षेत्र विकास परियोजना, कोटाः–** सृजित सिंचाई क्षमता एवं उपयोग के अंतर को कम करने के उद्देश्य हेतु माह दिसम्बर, 2013 से अगस्त, 2015 तक 22265.82 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

- **खेत सुधार कार्यक्रम** के अन्तर्गत चंबल सी.ए.डी. में 11019 हेक्टेयर, सी.ए. डी. बिसलपुर, टोंक में 1698.58 लाख रुपये व्यय कर 6172.21 हैक्टेयर, गंग नहर परियोजना में रुपये 11848.82 लाख व्यय कर 48060 हेक्टेयर एवं सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना में रुपये 128.86 लाख रुपये व्यय कर 910 हेक्टेयर तथा अमर सिंह सब ब्रांच परियोजना में राशि रुपये 81. 49 लाख व्यय कर 1752 हैक्टेयर क्षेत्र में **खाला निर्माण** करवाया गया।

सहकारिता विभाग

- किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से **प्रमाणित खाद उचित मूल्य एवं समय पर उपलब्ध** कराने हेतु दिसम्बर, 2013 से अगस्त, 2015 तक राजफैड द्वारा 177521 मैंट्रिक टन डी.ए.पी. 420807 मैंट्रिक टन यूरिया, 11373 मैंट्रिक टन एसएसपी, इफको द्वारा 250722 मैंट्रिक टन डीएपी, 593363 मैंट्रिक टन यूरिया व 50252 मैंट्रिक टन एनपीके और कृभको द्वारा 20007.85 मैंट्रिक टन डीएपी एवं 316870.80 मैंट्रिक टन यूरिया खाद की आपूर्ति की गई है।

- केन्द्रीय सहकारी बैकों द्वारा **29082.87 करोड़ रूपये का अल्पकालीन ऋण** एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैकों द्वारा **408.44 करोड़ रूपये का दीर्घकालीन ऋण का वितरण** दिसम्बर, 2013 से अगस्त, 2015 तक किया गया है।

- माह दिसम्बर, 2013 से अगस्त, 2015 तक **713 मिनी बैंक खोले** गये है।

- राजस्थान सहकारी आवासन संघ द्वारा 1.82 करोड़ रूपये ऋण वितरण किये गये।

- उपभोक्ता सेक्टर द्वारा 901.42 करोड़ रूपये की व्यावसायिक प्रगति की गई है।

- **179 नई पैक्स व 15 लैम्पस के गठन की अनुमति** प्रदान की गई है। 69 पैक्स व 48 लैम्पस का पंजीयन किया गया है।

- भूमि विकास बैंक के 21.12.2013 तक सम्पूर्ण ऋण का भुगतान कर चुके 1525 कृषको (ऋणी सदस्यों) को भूमि रहन मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये।

- केन्द्रीय सहकारी बैकों द्वारा **महिला स्वयं समूहों** को कडीबन्धित करते हुये **2791 समूहों को 19.88 करोड़ रूपये के ऋण** दिये गये।

- गंगानगर कॉटन कॉम्पलेक्स के 73 श्रमिकों का 10 वर्ष पुराना 1.40 करोड़ का भुगतान करवाया गया।

कार्मिक विभाग

- **अधीनस्थ सेवा बोर्ड** का विधिवत गठन किया जाकर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

- ग्रेड पे 3600 या इससे कम ग्रेड पे के अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के समस्त. पदों पर भर्ती की कार्यवाही राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा किये जाने का परिपत्र दिनांक 10.11.2014 को जारी की जा चुका है।

- **TSP AREA लिए पृथक से Service Cadre का गठन** किये जाने हेतु दिनांक 28.01.2014 को नियम बनाये जा चुके हैं तथा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन संबंधी अधिसूचना दिनांक 4.03.2014 को जारी की चुकी है।

- कार्मिक विभाग द्वारा राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों के बालक–बालिकाओं के लिए ग्रीष्मकालीन सेल्फ डिफेंस का 15 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर दिनांक 15.05.2015 से 31.05.2015 तक आयोजित किया गया।

देवस्थान विभाग

- **वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना** अन्तर्गत 8 यात्रा रेलों का संचालन कर 1128.45 लाख रूपये व्यय कर वरिष्ठ नागरिकों को चयनित धर्म स्थलों की यात्रा कराई गई।

- **कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना** अन्तर्गत 50 यात्रियों को प्रत्येक को 1–1 लाख रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

- आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा **राज्य आपदा प्रबन्धन योजना तैयार** की गई जिसका राज्य कार्यकारी समिति द्वारा दिनांक 26.03.2014 को तथा आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08.07.2014 को अनुमोदन किया गया।

- **राज्य आपदा नीति तैयार** की गई।

- अभाव संवत 2070 में अभावग्रस्तव घोषित जिलो के अभावग्रस्त व गैरअभावग्रस्त क्षेत्रों की 1206 पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान प्रदान किया गया।

- अभाव संवत 2070 में अभावग्रस्त जिलों में राहत गतिविधियां यथा पशु संरक्षण, पेयजल परिवहन एवं अनुग्रह सहायता संचालित की गई।

- राज्य में खोज, बचाव व संचार व्यवस्था को विकसित किये जाने तथा उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में रूपये 769.99 लाख की राशि उपलब्ध करवाई गई।

- क्षमता संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में कुल रूपये 485.56 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई।

- विभागीय वेब एप्लीकेशन http://www.dmrd.rajasthan.gov.in के माध्यम से जिलों की मांग के अनुसार तत्काल **ऑन–लाइन बजट आंवटन** किया जा रहा है। इस एप्लीकेशन का आई.एफ.एम.एस. के साथ इन्ट्रीग्रेशन किया गया है।

- आपदाओं के प्रबन्धन में संसाधनों व जन–शक्ति की उपलब्धता के संबध में जानकारी India Disaster Resource Network (IDRN) http://www.idrn.gov.in वेब साईट पर उपलब्ध है जिसे समय–समय पर जिलों द्वारा अद्यतन किया जाता है।

- **सूखे हेतु क्राईसिस मैनेजमेंट प्लान** तैयार किया गया।

- संवत 2071 में राज्य के कुल 32 जिलों के 14,163 ग्रामों (खरीफ फसल में 13 जिलों के 5,841 ग्राम तथा रबी फसल में 29 जिलों के 8,322 गाम) को जिलों से प्राप्त गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त घोषित किया गया।

- अभाव संवत 2071 में आदिनांक तक राज्य में 3,336 पशु शिविरो (5,67,469 पशुओं), 853 गौशालाओं में (360143) एवं 180 चारा डिपो के संचालन की स्वींकृति प्रदान की गई।

- संवत 2070 में खरीफ फसल में हुए नुकसान हेतु कृषि आदान–अनुदान के अन्तर्गत 78,027.32 लाख रूपये का आवंटन किया गया।

- संवत 2070 में ओलावृष्टि से हुए नुकसान हेतु कृषि आदान–अनुदान के अन्तर्गत 47701.89 लाख रूपये का आवंटन किया गया।

- वित्तींय वर्ष 2014–15 में राहत गतिविधियों के संचालन हेतु 1,57,153 लाख रूपये का व्यय किया गया।

- संवत 2071 में ओलावृष्टि से प्रभावित कृषको को कृषि आदान अनुदान सहायता हेतु जिला कलेक्टरों को 2543.59 करोड़ रूपये का आवंटन किया जा चुका है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग

- राज्य में **वाई–फाई हॉट स्पॉट की सुविधा** सचिवालय के 207 स्थानों अन्य सरकारी भवनों एवं आमेर महल सहित 366 स्थानों पर स्थापित कर दी गयी है। साथ ही राज्य के ब्लॉक स्तर के 291 स्थानों सहित 864 स्थानों पर वाई–फाई हॉट स्पॉट की सुविधा स्थापित कर दी गयी है।

- वर्तमान में राज्य के विभिन्न विभागों एवं निजी क्षेत्र की लगभग **160 सेवायें इलेक्ट्रानिक माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध** करवायी जा रही हैं। साथ ही **मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बिजली पानी** एवं **मोबाइल के बिल जमा कराने की सुविधा भी प्रारम्भ** कर दी गयी है।

- **ई मित्र कियोस्क** की संख्या में बढ़ोतरी करते हुए राज्य में लगभग **15500 कियोस्क** सरकारी एवं निजी सेवाओं के लिये **क्रियाशील** है। इन कियोस्क के माध्यम से नागरिकों को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में विभिन्न सरकारी एवं निजी सेवायें तथा सूचनायें उपलब्ध करवायी जा रही हैं।

- सरकारी विभागों के मध्य सूचना तंत्र स्थापित करने के अंतर्गत राज्य के लगभग 3363 सरकारी भवनों में स्थित 4141 कार्यालयों में 6761 कार्मिक आर एस वेन के माध्यम से तथा 162 भवन सेकलेन के माध्यम से आपस में एक दूसरे से इंटरनेट तकनीक का उपयोग करते हुये जुड़े हुये हैं।

- सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग राज्य में आधार पंजीयन के लिये पंजीयक का कार्य निष्पादित कर रहा है जिसके अन्तर्गत आधार पंजीकरण संख्या में बढ़ोतरी करते हुए आदिनांक तक **4.96 करोड़ आधार पंजीयन** हो चुके हैं।

- सरकारी विभागों में डाक तथा पत्रावलियों के सुचारू निष्पादन तथा प्रबोधन हेतु सचिवालय के 67 विभाग एवं सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं मूल्यांकन विभाग में **ई–ऑफिस तंत्र प्रारम्भ** कर दिया गया है।

- वर्तमान सरकार की घोषणाओं, उद्देश्यों, जनकल्याण कार्यक्रमों तथा सरकारी विभागों हेतु दिशानिर्देशों के अनुरूप मुख्यमंत्री कार्यालय की नवीन वेबसाईट (English version) तैयार कर दी गयी है।

- मानव संसाधन विकास विभिन्न विभागों में किये जा रहे कम्प्यूटरीकरण की सफलता सुनिश्चित करने के लिये कम्प्यूटर में दक्ष मानव संसाधन का विकास के तहत प्रदेश में कुल 31394 सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर दिया गया है।

- ई–प्रोक्योमैन्टम तंत्र पर ई भुगतान का एकीकरण किया जा चुका है।

- राजस्थान सम्पर्क परियोजना सामान्य जन की शिकायतों और सुझावों के निवारण का एकीकृत मंच है। प्रदेश की जनता राजस्थान सरकार के अधीन चल रहे किसी भी विभाग के बार में फोन (कॉल सेंटर),वेब अथवा व्यक्तिगत रूप से सहायता केन्द्रों पर शिकायत या सुझाव प्रस्तुत कर सकती है। इस पोर्ट्ल के माध्यम से जन सुनवाई, मुख्यमंत्री यात्रा और अन्य यथासम्भव जन सम्पर्क माध्यमों का समावेश किया जाना प्रस्तावित है,जिससे एक ही मंच पर उनकी समस्याओं के लिये त्वरित निराकरण मिल सके। परियोजना को **राजस्थान सम्पर्क पोर्टल** www.sampark.rajasthan.gov.in के माध्यम से क्रियान्वित कर दिया गया है।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

- शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कुल 15057 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को एकीकरण के तहत आदर्श प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समन्वित किया गया है।

- विद्यार्थी मित्रों/संविदा पर कार्यरत कार्मिको को समायोजित करने के लिए मंत्रिमण्डलीय उप समिति की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा सहायक भर्ती, 2013 को निरस्त करते हुए **विद्यालय सहायक** के नाम से **नया संवर्ग सृजित** कर विद्यालय सहायक सेवा नियम बनाये जाकर अधिसूचना जारी।

- तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती हेतु पूर्व में ली जा रही दो परीक्षाओं के स्थान पर **REET** (Recruitment cum Eligibility Exam for Teachers) करने का निर्णय लिया गया है।

- राज्य के **हनुमानगढ़** (नोहर) तथा **डूंगरपुर** (बिछीवाड़ा) जिलों में **खण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण** कार्य करवाये जाने के अन्तर्गत भवन हेतु भूमि का आवंटन हो चुका है एवं प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु पद स्वीकृत किये जा चुके हैं। बीआरसीए भवन में संचालन हेतु ओदश कर दिये गये है। एनसीटीई से मान्यता हेतु आवेदन कर दिया गया है।

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत **निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित 3.74 लाख छात्रों** की फीस का गैर सरकारी विद्यालयों को 130.05 करोड़ रूपये का पुनर्भरण किया गया।

- सर्व शिक्षा अभियान की विभिन्न गतिविधियों पर माह दिसम्बर, 2013 से जुलाई, 2015 तक 684523.34 लाख रुपये व्यय हुए।

- विद्यालय सहायक का नया संवर्ग सृजित कर सेवा नियम जारी कर दिये गये है तथा विद्यालय सहायकों की भर्ती हेतु अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2971 एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 30522 कुल 33493 पदों हेतु विज्ञप्ति जारी की गई।

माध्यमिक शिक्षा विभाग

- प्रत्येक ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक स्तर की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु **5000 रामावि को राउमावि में क्रमोन्नत** किया गया है।

- बालिका शिक्षा को बढावा देने की दृष्टि से वर्ष 2014–15 में **9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली समस्त छात्राओं को नकद राशि के स्थान पर निःशुल्क साइकिल वितरण** के तहत 2,51,326 साईकिलें वितरित।

- राज्य के चयनित **70 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा पायलट प्रोजेक्ट** के रूप में प्रारम्भ की गई है। वर्ष 2015–16 में राज्य के 220 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा प्रारम्भ की जाकर दिनांक 01.08. 2015 से कक्षाएं प्रारम्भ हो गई है।

- स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर, 2014 से राज्य के समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वच्छ भारत अभियान प्रारम्भ तथा जनवरी, 2014 में ही प्रत्येक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को 5,000 रूपये की राशि विशेष सफाई अभियान हेतु उपलब्ध करवाई गई।

संस्कृत शिक्षा विभाग

- **संस्कृत दिवसान्तर्गत** राज्य स्तरीय विद्वत्सम्मान समारोह 2014 में पुरस्कारों की संख्या 13 से बढाकर 14 तथा **पुरस्कारों की राशि 4.12 लाख से बढाकर 5.23 लाख** की गयी।

उच्च शिक्षा विभाग

- **वर्ष 2014–15** में राज्य में **8 राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ** किये गए।
- **मूक बधिर तथा नेत्रहीन विद्यार्थियों हेतु** राजस्थान में **पहली बार महाविद्यालय स्तर पर अध्ययन की व्यवस्था** की गई। इसके लिए राजकीय महाविद्यालय,जयपुर में सत्र 2014–15 में एक अलग वर्ग खोला गया।
- महाविद्यालयों में **स्नातक प्रथम वर्ष में 25 प्रतिशत सीटें बढाई** गईं। इस प्रकार संपूर्ण राजस्थान में कुल 26000 सीटें बढाई गई।
- सत्र 2014–15 एवं 2015–16 सत्र में समस्त **राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश हेतु** परसेंटेज के स्थान पर **परसेंटाइल का आधार** सफलता पूर्वक लागू किया गया।
- एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया के तहत स्नातक पार्ट द्वितीय व तृतीय तथा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया समाप्त की गई।
- सत्र **2014–15** में स्नातक प्रथम वर्ष में **110 राजकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस** (ओ.ए.पी.)सफलता पूर्वक लागू किया गया। सत्र 2015–16 में 70 और राजकीय महाविद्यालयों को इस ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया से जोडा गया। इस प्रकार **सत्र 2015–16 में समस्त राजकीय महाविद्यालयों** में स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश हेतु **ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस लागू** है।

- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना में 25.74 करोड़ रुपये जिला नोडल महाविद्यालयों को वितरित एवं इस हेतु 53179 योग्य विद्यार्थियों का चयन किया जा चुका है।

- 9 राजकीय महाविद्यालयों का पुनर्गठन कर 11 नवीन राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना नवम्बर, 2014 में की गई।

- **समस्त राजकीय महाविद्यालयों** में रोजगार की जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ के तहत **रोजगार प्रकोष्ठ की स्थापना** की गई। निजी महाविद्यालयों को भी ऐसे प्रकोष्ठ स्थापित करने हेतु निर्देश जारी किये गए।

- **समस्त राजकीय महाविद्यालयों** को यू.जी.सी. की **ई–लाइब्रेरी योजना** से जोडा गया, जिसके आधार पर 97000 ई–बुक्स एवं 6000 जर्नल्स का अध्ययन किया जा सकेगा।

- **1153 व्याख्याताओं के रिक्त पदो को भरने** हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ने विज्ञप्ति जारी कर दी है।

तकनीकी शिक्षा

- 15 राजकीय पालिटेक्निक महाविद्यालय में से 12 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाएं नव निर्मित भवनों में संचालित किये गये हैं।

- 15 महिला छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।

- **प्रवक्ताओं के 343 पदों पर भर्ती** प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को प्रेषित कर दी गई है।

तकनीकी शिक्षा (आईटीआई)

- **681 नई** निजी **आई टी आई** को स्थापित कर **85,000 प्रशिक्षण स्थानों में वृद्धि** हुई।

- **आई.टी.आई. उदयपुर को मोडल आई.टी.आई.** बनाने हेतु आई.टी.ई.ई. सिंगापुर (ITEE Singapore) के साथ 05.08.2015 को MoU किया गया।

- आई.टी.आई., शाहपुरा (जयपुर) में टोयटा कंपनी के द्वारा वाहनों के **रिपयेर एवं डेंटिंग, पेंटिंग का विश्व स्तरीय कोर्स** आरम्भ करवाने हेतु MoU किया गया है।

- राजकीय **आई.टी.आई., जयपुर एवं सैमसंग इंडिया** के साथ MoU किया गया है।

- **आई.टी.आई., बाडमेर एवं बालोतरा** तथा **केयर्न एनर्जी** के साथ और आई. टी.आई. झालावाड़ एवं आरएसएलडीसी तथा कैटरपिलर के साथ एमओयू किया गया है।

- डिग्री, डिप्लोमा एवं वोकेशनल अप्रेन्टिसशिप हेतु **अप्रेन्टिसशिप बोर्ड, कानपुर के साथ MOU** किया जाकर जयपुर में कार्यालय की स्थापना की गई है।

- शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के पुनरुत्थान हेतु **अप्रेन्टिसशिप एक्ट, 1961** में संशोधन कर लागू किया गया।

- व्यवसायों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन के कारण प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा अनुदेशक प्रशिक्षण को 20 स्पोक्स के द्वारा दूरस्थ प्रशिक्षण तकनीक द्वारा करवाया जायेगा।

ऊर्जा विभाग

- घरेलू सिंगल फेज बिजली 21–22 घटें ग्रामीण क्षेत्र में एवं 24 घटें शहरी क्षेत्रों में एवं किसानों के लिए 6.30 घटें दिन में व 7 घटें रात्रि के ब्लॉक में थ्री फेज **बिजली निर्बाध** रूप से **आपूर्ति** की जा रही है।

- **छबडा तापीय विद्युत** परियोजना की तीसरी इकाई (250 मेगावाट) से दिनांक 19.12.2013 से उत्पादन प्रारम्भ किया गया है। छबडा तापीय विद्युत परियोजना **चतुर्थ इकाई** (250 मेगावाट) को 30.06.14 को कमीशन किया जा चुका है। **वाणिज्यिक उत्पादन नवम्बर, 2014 से प्रारम्भ** किया जा चुका है।

- 50 मेगावाट स्टीम टरबाईन **रामगढ गैस** परियोजना फेज तृतीय से **07.06. 2014** को **विद्युत उत्पादन प्रारम्भ** किया गया है।

- **कालीसिंघ परियोजना** की **प्रथम इकाई 600 मेगावाट** से दिनांक **7.5.2014 से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ** किया गया है।

- दिसम्बर, 2013 से अगस्त, 2015 तक **220 केवी के 13**, तथा **132 केवी के 19 ग्रिड सब स्टेशन** बनाकर चालू किय गये है।

- **92 गावों का विद्युतीकरण, 64373 कृषि कनेक्शन जारी** किये गये है। **33 केवी के 527 ग्रिड सब स्टेशन** बना कर **चालू** किये गये है। **31561 कुटीर ज्योति कनेक्शन जारी** किये गये है।

- **861.3 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा** परियोजनाएं, तथा **510.35 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित** की जाकर विद्युत उत्पादन प्रारम्भ किया गया है।

- राज्य की **अधिष्ठापित क्षमता में** दिसम्बर, 2013 से अगस्त, 2015 तक **2979 मेगावाट क्षमता की वृद्धि** की गई है।

वित्त विभाग

- वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 के बजट **अनुमान एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली** (IFMS) के माध्यम **से तैयार किये गये।**

- चिकित्सा विभाग के एमबीबीएस डिग्रीधारी वरिष्ठ डेमोन्सट्रेटर, सहायक आचार्य जो राजस्थान चिकित्सा सेवा (कोलेजिऐट शाखा) से सम्बद्ध है तथा जो एक वर्ष की इर्न्टनशिप कर चुके है, उनका परिवीक्षाकाल 2 वर्ष के बजाय 1 वर्ष किया गया।

- वरिष्ठ प्रदर्शक एवं सहायक प्रोफेसर से संबंधित परीवीक्षाकाल को एक वर्ष किया गया।

- राज्य में वर्तमान में दो पारिवारिक पेंशन के पात्र बच्चों के लिये पारिवारिक पेंशन की अधिकतम सीमा 12,425 रूपये प्रतिमाह तथा साधारण दर पर 7,455 रूपये प्रतिमाह को बढाकर 38,500 रूपये प्रतिमाह तथा 23,100 रूपये प्रतिमाह किया गया।

वाणिज्य कर विभाग

- **व्यवहारियों की सुविधा हेतु** घोषणा–पत्रों को मोबाइल फोन बेस्ड एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा दिनांक 19.06.2015 को **मोबाइल एप्लीकेशन राज वेट लाँच** की गई है।

निदेशालय निरीक्षण (वित्त)

- **आन्तरिक जांच प्रतिवेदनों** में माह दिसम्बर, 2013 से अगस्त, 2015 तक 215 नवीन प्रतिवेदन जारी, 5220 अनुच्छेद गठित, 203 प्रतिवेदन बंद किए गए एवं 5494 अनुच्छेंदों को निरस्त किया गया।

- **विशेष जांच प्रतिवेदनों** में 18 नवीन प्रतिवेदन जारी, 235 अनुच्छेद गठित एवं 36 प्रतिवेदन बंद किए गए तथा 464 अनुच्छेदों को निरस्त किया गया।

- **भौतिक सत्यापन जांच प्रतिवेदनों** के अन्तर्गत 687 नवीन प्रतिवेदन जारी, 4393 अनुच्छेद गठित, 687 प्रतिवेदन बंद किए गए एवं 5917 अनुच्छेदों को निरस्त किया गया।

आबकारी विभाग

- आबकारी विभाग में दिसम्बर, 2013 से जुलाई, 2015 तक **9707.49 करोड़ रूपये का राजस्व** प्राप्त किया गया।

- आबकारी विभाग द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत 19,293 अभियोग दर्ज कर 12,841 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये एवं 445 वाहनों को जप्त किया गया। अवैध हथकढ़ शराब के उपयोग को रोकने के लिये 23,89,219 लीटर वाश मौके पर नष्ट की गई तथा भारी मात्रा में देशी तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर जप्त की गई।

स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय (वित्त)

- 13 दिसम्बर, 2013 से अगस्त, 2015 तक **अंकेक्षण शुल्क की राशि 1346 लाख रूपये वसूल** की गई।
- चालू वर्षों का बकाया अंकेक्षण वर्ष 9998 वर्ष जिसमें से 31 जुलाई, 2015 तक 89 चालू वर्षों एवं 172 बकाया वर्षों का अंकेक्षण किया गया।

पेंशन विभाग

- वर्ष 2014–15 में **पेंशन विभाग का नवीन क्षेत्रीय कार्यालय भरतपुर में खोला गया** जिसमें भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर एवं करौली जिलों से सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है। इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 1.8.2014 से विधिवत कार्य प्रारम्भ कर दिया है।
- राजस्थान राज्य में मीसा एवं डी.आई.आर बन्दियों को पेंशन नियम 2008 के अन्तर्गत पेंशन दिये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके आधार पर पेंशन विभाग द्वारा संबंधित जिला कलक्टरों से स्वीकृति प्राप्त होने पर पेंशन की अधिकृति जारी की जा रही है। अब तक प्राप्त 625 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है।
- पेंशन एवं परिवारिक पेंशन के नये 28429 प्रकरण प्री– 2013 संशोधन के 88931 एवं प्री–2006 ए के 15969 संशोधित प्रकरणों का अगस्त, 2015 तक निस्तारण किया गया है। 31 अगस्त, 2015 तक पेंशन एवं परिवारिक पेंशन के नये 10603 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।
- पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में उसकी 65 वर्ष के स्थान पर **67 वर्ष की आयु होने तक बढ़ी हुयी दर से परिवार पेंशन देय** की गयी है।
- पति एवं पत्नी दोनों की मृत्यु होने एवं दोनों मामलों में पारिवारिक पेंशन देय होने पर या पेंशन की अधिकतम सीमा 38500 बढ़ी हुई दर से 23100 (साधारण दर) तक बड़ाई गई।

- राज्य सरकार के पेंशनर्स को देय चिकित्सा सुविधा संशोधित योजना जारी की गई जिसके अंतर्गत पैकेज समाप्त कर व्यय के अनुसार अलग राशि देय की गई, 68 निजी अस्पताल अनुमोदित किए गए।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

- राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90ए या तत्समय प्रचलित धारा–90बी के अन्तर्गत जे.डी.ए. जयपुर/जोधपुर, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर सुधार न्यास तथा अन्य स्थानीय निकायों में निहित भूमि का इन निकायों द्वारा सुसंगत विधिधनियमों के अन्तर्गत आवंटन या नियमन उपरान्त जारी पटटों का पंजीयन दिनांक 31.03.2014 तक कराने की स्थिति में स्टाम्प शुल्क में रियायत प्रदान की गई।

- राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जे.डी.ए. जयपुर/जोधपुर, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर सुधार न्यास, कृषि उपज मण्डीा एवं मण्डीय समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको), राजस्थान राज्य सहकारी आवसन संघ या राज्य सरकार के किसी अन्य निकाय/उपकर्म द्वारा आवंटित/विक्रय की गई स्थावर सम्पत्ति के संबंध में उनके द्वारा निष्पादित विलेख/लिखित पंजीयन के लिए निर्धारित समयावधि अर्थात् निष्पादन की दिनांक से 8 माह की अवधि में पंजीकत नहीं करवाकर उपरोक्त निकायों/संस्थाओं/उपक्रमों के पुनर्वेध एवं पुनःनिष्पादित करवाकर दिनांक 31.03.2014 तक पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाने पर स्टाम्प शुल्क में रियायत दी गई।

- राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जे.डी.ए. जयपुर/जोधपुर, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर सुधार न्यास, कृषि उपज मण्डीज एवं मण्डी समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको), राजस्थान राज्य सहकारी आवसन संघ या राज्य सरकार के किसी अन्य निकाय/उपकर्म द्वारा आवंटित/विक्रय की गई स्थावर सम्पत्ति के संबंध में उनके द्वारा निष्पादित विलेखों/लिखतों पर देय स्टाम्प ड्यूटी घटाकर दिनांक 31.03.2014 तक रियायत दी गई।

- राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन की अनुज्ञा हेतु नियम–4 के उपनियम (1) या नियमितिकरण के लिए नियम–16 के उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ आवेदक द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान–2012 के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ–पत्रों पर दिनांक 31.03.14 तक देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई।

- जयपुर एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण, आवासन मण्डल, यू.आई.टी., नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद द्वारा आवंटन/विक्रय के पश्चात, अपूर्ण मुद्रांक या बिना मुद्रांक पर निष्पादित अपंजीकृत दस्तावेज के द्वारा सम्पत्ति हस्तान्तरित करने पर उपरोक्त मध्यवर्ती अपूर्ण मुद्रांक या बिना मुद्रांक के निष्पादित अपंजीकृत दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क बाजार मूल्य के स्थान पर मूल आवंटन की राशि पर लेने की रियायत दी गई। यदि इनके आधार पर निष्पादित लीजडीड दिनांक 31.03.2014 तक निष्पादित कर पंजीयन हेतु प्रस्तुत कर दी जायें।

- मैसर्स हाईटेक परसिएशन ग्लास लिमिटेड का अमलगमेशन मैसर्स राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में होने के संबंध में जारी आदेश दिनांक 15.07.2013 पर देय स्टाम्प शुल्क की रियायत दी गई।

- डवलपर एग्रीमेन्ट में यदि विकासकर्त्ता को विकसित सम्पत्ति के किसी भाग का विक्रय करने का अधिकार नहीं दिया गया है तो स्टाम्प ड्यूटी बाजार मूल्य का 1 प्रतिशत तथा यदि किसी भाग का विक्रय का अधिकार दिया गया है तो उस भाग के बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत तथा शेष भाग पर 1 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी लेने की रियायत दी गई है। जो दिनांक 14.07.14 से होने वाले सभी पंजीयनों पर प्रभावी है।

- राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू–उपयोग) नियम, 2010 या अन्य किसी सुसंगत नियमों के अधीन जारी भू–उपयोग परिवर्तन के आदेश पर देय स्टाम्प शुल्क घटाकर न्यूनतम 500 रूपये की सीमा के अध्यधीन, भू–उपयोग परिवर्तन के प्रभारों या फीस की रकम पर 10 प्रतिशत की दर से प्रभारित

करने का प्रावधान किया गया है। जो दिनांक 14.07.14 से होने वाले सभी पंजीयनों पर प्रभावी है।

- कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 394 के अधीन उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा कम्पनियों के या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश द्वारा बैंककारी कम्पनियों के समामेलन या पुर्नगठन से संबंधित हस्तान्तरण दस्तावेज पर 25 करोड़ रूपये से अधिक देय स्टाम्प ड्यूटी को माफ किया गया जो दिनांक 14.07.14 से होने वाले सभी पंजीयनों पर प्रभावी है।

- आवंटन के आधार पर निष्पादित खनन पट्टे, निलामी के आधार पर निष्पादित खनन पट्टे, खनन पट्टे के नवीनीकरण एवं हस्तान्तरण के आधार पर निष्पादित खनन पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी की रियायत दी गई जो दिनांक 14.07.14 से होने वाले सभी पंजीयनों पर प्रभावी है।

- स्थानीय निकायों द्वारा आवंटित या विक्रित भूमि के संबंध में आवंटन आदेश के आधार पर पट्टा विलेख प्राप्त करने से पूर्व अन्तरण करने के संबंध में निष्पादित प्रत्येक अपंजीकृत और अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित मध्यवर्ती दस्तावजों पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर बाजार मूल्य के स्थान पर मूल आवंटन की रकम का डेढ गुना से प्रभारित करने की रियायत दी गई।

- सहकारी सोसायटियों द्वारा आवंटित या विक्रित भूमि के अन्य प्रवर्गों के संबंध में निष्पादित प्रत्येक मध्यवर्ती अपंजीकृत और अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित् प्रत्येक दस्तावेज पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य की 50 प्रतिशत राशि पर स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान किया गया है जो दिनांक 14.07.14 से होने वाले सभी पंजीयनों पर प्रभावी है।

- सरकार एवं स्थानीय निकायों द्वारा आवंटित या विक्रय की गई भूमि के संबंध में निष्पादित पट्टा एवं विक्रय विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी बाजार मूल्य के स्थान पर आवंटन राशि पर प्रभारित करने की रियायत दी गई जो दिनांक 14.07.14 से होने वाले सभी पंजीयनों पर प्रभावी है।

- स्थानीय निकायों द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन भूमि के आवंटन या नियमितिकरण के आधार पर, खातेदार या

पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर भू–स्वामी के पक्ष में निष्पादित पट्टे पर निष्पादित पट्टों पर स्टाम्प शुल्क बाजार मूल्य के स्थान पर नियमन राशि पर प्रभारित करने की रियायत दी गई।

- अपंजीकृत या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित दस्तावेजों के आधार पर नियमन करके निष्पादित पट्टे पर आरक्षित दर के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी प्रभारित करने की रियायत दी गई है जो दिनांक 14.07.14 से होने वाले सभी पंजीयनों पर प्रभावी है।

- 10 वर्ष तक की अवधि के विभिन्न श्रेणी के किरायेनामों (लीज डीड) पर मुद्रांक शुल्क की रियायत दी गई है।

- 4 मंजिलों से अधिक बहुमंजिला ईमारतों की ईकाई के पश्चातवर्ती हस्तान्तरण दस्तावेज, जो ऐसी ईकाई के प्रथम हस्तान्तरण दस्तावेज के पंजीयन की दिनांक से 1 वर्ष पश्चात् निष्पादित किया गया है, पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जाकर निम्नानुसार अधिसूचित किया गया –

क्र. सं.	**पश्चातवर्ती अन्तरण की कालावधि**	**बाजार मूल्य पर संदेय स्टाम्प शुल्क की दर**
1	ऐसी इकाई के हस्तान्तरण विलेख के प्रथम रजिस्टीकरण से एक वर्ष के भीतर ऐसी इकाई के अंतरण पर	2 प्रतिशत
2	ऐसी इकाई के हस्तान्तरण विलेख के प्रथम रजिस्टीकरण से एक वर्ष पश्चात् किन्तु दो वर्ष के भीतर ऐसी इकाई के अन्तरण पर	3 प्रतिशत
3	ऐसी इकाई के हस्तान्तरण विलेख के प्रथम रजिस्टीकरण से दो वर्ष पश्चात् किन्तु तीन वर्ष के भीतर ऐसी इकाई के अन्तरण पर	4 प्रतिशत

- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या बी.पी.एल. प्रवर्ग की महिलाओं के पक्ष में अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण विलेख पर स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत, एवं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या बी.पी.एल. प्रवर्ग की महिलाओं से भिन्न महिलाओं के मामलों में 4 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क प्रभारित करने की रियायत दी गई।

- 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता से ग्रसित व्यक्ति के पक्ष में हस्तान्तरण पत्र पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में रियायत देकर 5 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत की दर से प्रभारित करने की रियायत दी गई।

- अचल सम्पति के विक्रय करने के लिये बिना प्रतिफल लिये निष्पादित किये गये मुख्तयारनामा आम पर अधिकतम पंजीयन शुल्क को 50000 से घटाकर 10000 रूपये किया गया है।

- रतनगढ, चुरू में ब्राडगेज लाईन की स्थापना के लिए अवाप्त की गई रीको की भूमि के बदले राज्य सरकार द्वारा रीको को आवंटित भूमि के संबंध में रीको के पक्ष में निष्पादित लीज डीड पर देय पंजीयन शुल्क की पूर्ण रियायत दी गई।

- रतनगढ, चुरू में ब्राडगेज लाईन की स्थापना के लिए अवाप्त की गई भूमि के बदले उन व्यक्तियों/फर्मों को रीको द्वारा आवंटित भूमि के संबंध में निष्पादित लीज डीड पर देय स्टाम्प शुल्क को घटाकर 100 रूपये किया गया।

- रतनगढ, चुरू में ब्राडगेज लाईन की स्थापना के लिए अवाप्त की गई भूमि के बदले उन व्यक्तियोंध्फर्मों को रीको द्वारा आवंटित भूमि के संबंध में निष्पादित लीज डीड पर देय पंजीयन शुल्क की पूर्ण रियायत दी गई।

- डीडवाना में महिला कॉलेज की स्थापना के लिए राज्य सरकार की ओर से निदेशक, कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा डीडवाना विकास परिषद समिति, डीडवाना को आवंटित 11031.521 वर्गमीटर भूमि के संबंध में निष्पादित लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी की पूर्ण रियायत दी गई।

- जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा विभिन्न बैंका/वित्तिय संस्थानों से लिए गए ऋण करार के बदले दिनांक 31.03.2015 तक निष्पादित लिखतों पर मुद्रांक शुल्क की पूर्ण रियायत प्रदान की गई है।

- राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा वार्षिक योजना एलोकेशन 2014–15 के अन्तर्गत प्राईवेट प्लेसमेन्ट बेसिस फोर फण्डिंग हेतु 700 करोड़ के जारी नॉन कनवरटेबल बॉण्डस् पर स्टाम्प शुल्क को घटाकर 0.25 प्रतिशत की दर किया जाकर रियायत प्रदान की गई है।

- किसी संगम या स्टाक एक्चेन्ज के माध्यम से किसी व्यापारिक सदस्य द्वारा क्रियान्वत संव्यवहार के अभिलेख (इलेक्ट्रोनिक या अन्यथा) के प्रवर्गों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जाकर निम्नानुसार प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर प्रभारित किया गया है–

  क्र.स – संव्यहार के अभिलेख का विवरण – स्टाम्प शुल्क की दर

  1) संव्यहार का अभिलेख यदि सरकारी प्रतिभूतियों से भिन्न प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय से संबंधित हो अपरिदान के मामलों में – प्रतिभूति के मूल्य का 0.0025 प्रतिशत।

  2) संव्यवहार या अभिलेख यदि विकल्प व्यापार से संबंधित हो –

  (i) जहां विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है – प्रतिभूति के मूल्य का 0. 0025 प्रतिशत।

  (ii) जहां विकल्प का प्रयोग किया गया हो – प्रतिभूति के मूल्य का 0.01 प्रतिशत।

  3) संव्यवहार का अभिलेख यदि प्रतिभूतियों में फयूचर्स के क्रय से संबंधित हो – प्रतिभूति के मूल्य का 0.001 प्रतिशत।

  4) संव्यवहार का अभिलेख यदि किसी संगम के माध्यम से या अन्यथा व्यापार की गयी गैर–कृषिक वस्तुओं की अग्रिम संविदाओं से संबंधित हो – अग्रिम संविदा के मूल्य का 0.001 प्रतिशत।

  5) संव्यवहार का अभिलेख यदि किसी संगम के माध्यम से या अन्यथा व्यापार की गयी कृषिक वस्तुओं की अग्रिम संविदाओं से संबंधित हो – अग्रिम संविदा के मूल्य का 0.0005 प्रतिशत।

- उक्त अधिसूचना दिनांक 14.07.2014 से प्रभावी है किन्तु पूर्व में अदा किया हुआ स्टाम्प शुल्क का रिफण्ड देय नहीं।

- राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन द्वारा वेयर हाउस निर्माण के लिए उनके पक्ष् में स्थानीय निकायों द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर आवंटित भूमि की लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की रियायत दी गईः–

S. No.	Name of the center of the RSWC	Area of the Land	Land allotting Authority
1.	Bundi	95 Bigha	District Collector, Bundi
2.	Shri Vijaynagar	25292-85 sq-meter	Krishi Upaj Mandi Samiti, Shri Vijaynagar
3.	Shri Karanpur (Sri Ganganagar)	8553-58 sq-meter	Director Agriculture Marketing Rajashtan, Jaipur

- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 (Rajasthan Investment Promotion Scheme, 2014) के अन्तर्गत चयनित द्वारा उपक्रम स्थापित करने के लिए भूमि/निर्मित क्षेत्र क्रय करने के संबंध में निष्पादित लीज/क्रय दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी 50 प्रतिशत की रियायत दी गई।

- राजस्थान राज्य विघुत निगम लिमिटेड द्वारा बोर्ड की 236वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कालीसिंध थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, यूनिट । व ।। के लिए अपनी अंशपूंजी 7323 करोड़ से 9479.51 करोड़ करने के लिए जारी किये जाने वाले 1000 करोड़ रूपये के नॉन कन्वर्टेबल बॉण्ड पर स्टाम्प शुल्क घटाकर 0.25 प्रतिशत किया गया।

- गिरल लिगनाईट पावर लिमिटेड की परिसम्पतियां एवं देनदारियां राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से गिरल लिगनाईट पावर लिमिटेड को हस्तान्तरित करने के संबंध में निष्पादित हस्तान्तरण पत्र को स्टाम्प डयूटी से मुक्त किया गया।

- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में किये गये संशोधन–

  - आर्टिकल 3 में गोदनामा के दस्तावेज पर स्टाम्प डयूटी की दर को 100 रूपये से बढाकर 300 रूपये किया गया।

  - आर्टिकल 4 में शपथ पत्र पर स्टाम्प डयूटी की दर को 10 रूपये से बढाकर 20 रूपये की गई।

- आर्टिकल 5(डी) एवं 6(ए) में स्टाम्प डयूटी की दर को 0.1 प्रतिशत को बढाकर 0.15 प्रतिशत गया।

- बैंक गारंटी पर स्टाम्प डयूटी का प्रावधान करने के लिये आर्टिकल 13ए नया जोडकर स्टाम्प डयूटी की दर 0.25 प्रतिशत अधिकतम 25000 रूपये निर्धारित की गई।

- आर्टिकल 44 के सब क्लॉज (ए) एवं (बी) में स्टाम्प डयूटी की दर को 50 रूपये से बढाकर 100 रूपये किया गया। इसी प्रकार सब क्लॉज (सी) एवं (डी) में स्टाम्प डयूटी की दर को 100 रूपये से बढाकर 200 रूपये किया गया।

- नया आर्टिकल 35ए जोडकर शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने/ नवीनीकरण करने पर स्टाम्प डयूटी का प्रावधान किया गया।

- आर्टिकल 48 के प्रावधान को संशोधित करते हुए परिवार के सदस्यों की संख्या को सीमित कर तथा इन्हें परिभाषित करते हुए इन सदस्यों द्वारा या इनके पक्ष में पैत्रक सम्पत्ति सहित किसी भी अन्य अचल सम्पत्ति की रिलीज डीड पर स्टाम्प डयूटी 100 रूपये के स्थान पर 500 रूपये का प्रावधान किया गया।

- आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) तथा निम्न आय वर्ग (LIG) के व्यक्तियों के पक्ष में स्थानीय निकायों द्वारा आवंटित/विक्रय किये गये 325 एवं 500 वर्ग फीट की आवासीय यूनिटों के दस्तावेजों पर स्टाम्प डयूटी क्रमश: 10 रूपये एवं 25 रूपये लिये जाने की रियायत दी गई।

- लोक प्रयोजना के लिये राज्य सरकार, स्थानीय निकायों तथा राजकीय उपक्रमों के पक्ष में निष्पादित भूमि/भवन के दान पत्रों पर स्टाम्प डयूटी एवं पंजीयन शुल्क की रियायत दी गई।

- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम की धारा–72 में ब्याज की दर 12 प्रतिशत वार्षिक चक्रव्रद्धि के स्थान पर 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज लेने की रियायत दी गई।

- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम की धारा–39, 44, 51 एवं 53 में बकाया स्टाम्प डयूटी पर पेनल्टी की दर को तर्कसंगत बनाने के लिये बकाया स्टाम्प डयूटी पर पेनल्टी की दर को 2 प्रतिशत प्रतिमाह से घटाकर 1 प्रतिशत प्रतिमाह किया गया।

- बहुमंजिला इमारतों में भूमि की आनुपातिक दर के प्रावधान को संशोधित किया गया।

- निम्नलिखित श्रेणी की भूमि दरों का निर्धारण राज्य सरकार के स्तर से किया गया है:–

    - रीको औघोगिक क्षेत्र में औघोगिक भूमि या औघोगिक प्रयोजनों के लिये सम्परिवर्ति भूमि या औघोगिक प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें।

    - रीको औघोगिक क्षेत्र से बाहर संस्थानिक प्रयोजनों की भूमि, खनन प्रयोजन, रिसोर्टस प्रयोजन, मैरिज गार्डन प्रयोजन, कम्पनियों, फर्मो या संस्थाओं द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि, फार्म हाउस प्रयोजन, 1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले आवासीय या वाणिज्यिक भूखण्ड, कॉर्नर का भूखण्ड, मिश्रित भू–उपयोग की भूमि, अनुमोदित उपयोग से भिन्न उपयोग के अधीन भूमि के मूल्यांकन बाबत, कोई क्षेत्र जहां आवासीय या वाणिज्यिक भूमि की दरें डी.एल.सी. द्वारा निर्धारित नहीं हो, वहां आवासीय या वाणिज्यिक भूमि की दरें, 1000 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें एवं रीको औघोगिक क्षेत्र में संस्थानिक, आवासीय, वाणिज्यिक भूमि की दरें।

- अपंजीकृत/ अमुद्रांकित दस्तावजों पर स्टाम्प डयूटी की रियायत दी गई।

- हस्तान्तरण दस्तावेजों पर देय पंजीयन शुल्क की अधिकतम 50000 की सीमा को हटाया गया।

- गैर कृषि प्रयोजनों के लिये ऋण हेतु बैंक वितीय संस्थाओं और सहकारी समितियों के पक्ष में निष्पादित बंधक पत्रों पर स्टाम्प डयूटी 0.15 प्रतिशत लेने की रियायत दी गई है।

- ऋण समानुदेशन (डेट असाईनमेंट) के दस्तावेज पर स्टाम्प डयूटी की दर 0.15 प्रतिशत से लेने की रियायत दी गई।

- प्रथम पंजीकृत हस्तान्तरण के बाद उसी अवस्था में रिक्त आवासीय एवं वाणिज्यिक भूखण्डो के पश्चातवर्ती हस्तान्तरण उसी अवस्था में रिक्त आवासीय एवं वाणिज्यिक भूखण्डों के पश्चातवर्ती हस्तान्तरण के दस्तावेज पर देय स्टाम्प डयूटी में 10 प्रतिशत की रियायत दी गई।

- Sponsoring body से प्राईवेट यूनिवर्सिटी के पक्ष में हस्तान्तरित सम्पति के दस्तावेजों पर स्टाम्प डयूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत की गई।

- युद्ध विधवा द्वारा मकान/फलैट निर्माण या क्रय या विद्यमान मकान/फलैट में परिवर्तन/परिर्द्धन करने के लिये किसी बैंक, वित्तीय संस्था या सहकारी सोसायटी से ऋण प्राप्त करने के संबंध में निष्पादित बंधक विलेख पर स्टाम्प डयूटी एवं पंजीयन शुल्क की रियायत दी गई।

- माही सीमेन्ट लिमिटेड का इण्डो जिंक लिमिटेड में अमलगमेशन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे द्वारा दिनांक 07.09.95 एवं राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 14.09.95 को दिये गये आदेश के अन्तर्गत देय स्टाम्प डयूटी पर, देय ब्याज एवं शास्ति की रियायत दी गई।

- स्टाम्प डयूटी में निम्नलिखित रियायते दी गईः–

    - रिडकोर इन्फ्रा प्रोजेक्टस लिमिटेड द्वारा अधिकृत अंश पूंजी को 5 लाख से बढाकर 50 करोड़ करने के संबंध में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में संशोधन के दस्तावेज पर देय स्टाम्प डयूटी।

    - रिडकोर इन्फ्रा प्रोजेक्टस लिमिटेड द्वारा अधिकृत अंश पूंजी में व्रद्धि के कारण शेयर सर्टिफिकेट जारी करने पर देय स्टाम्प डयूटी।

- राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा वार्षिक प्लान 2015–16 के अन्तर्गत 700 करोड़ रूपये के नॉन कन्वर्टेबल बॉण्डस जारी करने के संबंध में देय स्टाम्प ड्यूटी को घटाकर 0.25 प्रतिशत किया गया।

- रीको द्वारा इण्डस्ट्रियल एरिया धानोदी, जिला झालावाड को श्री वल्लाभ पित्ती ग्रुप की कम्पनियों को भूमि विक्रय/लीज पर देने के संबंध में निष्पादित दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी की रियायत दी गई।

- Performing asstets (Standard assets) के संबंध में निष्पाादित Debt assignment के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी 0.15 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रूपये प्रभारित करने की रियायत दी गई। इस अधिसूचना को दिनांक 09.03.15 से प्रभावी किया गया, साथ ही अन्य अधिसूचना उक्त दस्तावेज पर पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत अधिकतम 3 लाख रूपये प्रभारित करने की रियायत दी गई।

- रीको औघोगिक क्षेत्र भिवाडी अलवर में Wire haness manufacturing unit स्थापित करने के लिये Pelican Ceramic Industries Pvt- Ltd., Registered Office at C-6/4, Safdarjung, Development Area, New Delhi के द्वारा M/s yazaki India Pvt. Ltd., Registered Office at Gat No. 93, Survey No. 166, High Cliff Insudtrial Estate, Wagholi-Rahu Road, Kesnand, Pune, Maharashtra के पक्ष में 263620 वर्ग फीट भूमि (निर्माण सहित) लीज पर देने के संबंध में निष्पादित लीज डीड पर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी में रियायत प्रदान की गई।

- राजस्थोन स्टेट गैस लिमिटेड द्वारा अपनी अधिकृत अंश पूंजी को 40 करोड़ से 200 करोड़ बढाने के संबंध में निष्पादित अंश पूंजी में संशोधन के दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी गई।

- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी इकाई (enterprise) जिसे customized package दिया गया हो, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 के प्रावधानों में गठित राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर, ऐसी इकाई द्वारा भूमि (निर्माण सहित या निर्माण रहित) लीज पर लेने या क्रय करने के संबंध में निष्पादित होने वाले दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी की 100 प्रतिशत रियायत प्रदान की गई।

- दिसम्बर, 2013 से जुलाई, 2015 तक 24,26,419 दस्तावेजों का पंजीयन एवं 5260.42 करोड़ रूपये की आय अर्जित की गई। 14458.18 लाख रूपये की बकाया राशि की वसूली/ निस्तारण किया गया तथा भूमिकर से 12.19 करोड़ रूपये की आय अर्जित की गई। इसी प्रकार महिलाओं के पक्ष में कुल 4,44,429 दस्तावेज पंजीबद्ध किये गये। उनमें महिलाओं की दी गई रियायत की राशि 230.19 करोड़ है। कही भी पंजीयन योजना के अन्तर्गत कुल 92,097 दस्तावेजों का पंजीयन किया गया।

राजकीय बीमा एवं प्रावधायी विभाग

- बीमा विभाग में 38760 परिपक्वता स्वत्व में से 38642 प्रकरणों, 4714 मृत्यु स्वत्व में से 4675 प्रकरणों, 1944 अध्यर्पण प्रकरणों में से 1932 तथा 80819 ऋण के मामलों में से 80790 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

- जी.पी.एफ. विभाग द्वारा 33594 सेवानिवृत्त दावों में से 33447 प्रकरणों तथा 4471 मृत्यु दावों में से 4455 प्रकरणों तथा अन्तिम आहरण के 82533 में से 82517 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

- साधारण बीमा योजना में 632 मामलों में से 557 प्रकरण, छात्र दुर्घटना बीमा के 1222 में से 1182 प्रकरण तथा समुह दुर्घटना बीमा के 711 में से 655 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

- नवीन पेंशन योजना के सेवानिवृत्ति के 748 में से 663 प्रकरण, मृत्यु स्वत्व के 407 में से 374 प्रकरण एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के 31 में से 20 प्रकरण एनएसडीएल द्वारा निस्तारित किये गये।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

- **उपभोक्ता पखवाड़ा**– राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत प्राप्त खादयान की पहुँच लाभार्थियों तक सुनिश्चित करने के लिये उचित मूल्य दुकान पर प्रत्येक माह की 10 तारीख से 24 तारीख तक ''उपभोक्ता पखवाडा'' का आयोजन कर खादय समाग्री वितरण के संशोधित आदेश 10.11.2014 को जारी किये गये।

- **बजरी के संबंध में अधिसूचना** – बजरी की कालाबाजारी की रोकथाम करने, आपूर्ति बनाये रखने तथा समुचित दर पर न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिये ''राजस्थान माल (उत्पादन, आपूर्ति, वितरण तथा व्यापार और वाणिज्य पर नियंत्रण) अधिनियम, 2014'' लागू किये जाने की अधिसूचना 07.02.2014 को लागू की गई।

- **सहरिया एवं कथोडी जनजाति को खाद्य सुरक्षा** – राज्य के अन्त्योदय अन्न योजना में चयनित बारां जिले के सहरिया एवं उदयपुर जिले के कथौडी जनजाति के परिवारों को खादय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये जून, 2016 तक 35 किलोग्राम गेंहूं प्रतिमाह प्रति परिवार निःशुल्क वितरण कराये जाने के आदेश दिनांक 20.07.2015 को जारी किया गया।

- **आवश्यक खादय वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण** – राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 के संलग्न अनुसूची–। के भाग ड. में आलू और प्याज को जोडे जाने की अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त 2014 को जारी की गई। इसके तहत उक्त दोनों वस्तुओं की स्टॉक सीमा/टर्न ओवर अवधि का, जब भी आवश्यक हो, निर्धारण किया जाकर गैर कानूनी भण्डारण को रोककर भावों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाना आसान होगा। दालों के बढ़ते हुये भावों को देखते हुये राज्य सरकार द्वारा राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 के तहत थोक एवं खुदरा डीलर्स के लिये दालों (साबुत एवं दली हुई) की अधिकतम भण्डारण की मात्रायें (स्टॉक लिमिट) तथा आवर्तन (टर्नओवर) निर्धारण की अधिसूचना 15.07.2015 को जारी की गई। चना व चना दाल के अतिरिक्त सभी दालों (साबुत एवं दली हुई) हेतु थोक विक्रेताओं के लिये स्टॉक लिमिट 2000 क्विंटल तथा टर्नओवर 75 दिवस निर्धारित किया गया जबकि खुदरा डीलर के लिये स्टॉक लिमिट 25 क्विंटल तथा टर्नओवर 45 दिवस निर्धारित किया गया। चना व चना दाल (साबुत एवं दली हुई) हेतु थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक लिमिट 2000 क्विंटल तथा टर्नओवर 75 दिवसीय निर्धारित किया गया जबकि खुदरा डीलर के लिए स्टॉक लिमिट 25 क्विंटल तथा टर्नओवर 45 दिवस निर्धारित किया गया।

- **एलपीजी अनुदान के सीधे हस्तान्तरण (डीबीटीएल) की योजना ''पहल''**– दिनांक 1 जनवरी, 2015 से राज्य में एलपीजी अनुदान के सीधे हस्तान्तरण

(डीबीटीएल) की परिवर्तित योजना ''पहल'' लागू की जा चुकी है। परिवर्तित योजना के तहत एलपीजी उपभोक्ता के खाते में 2 प्रकार से अनुदान की राशि जमा की जा सकेगी। एलपीजी उपभोक्ता के आधार नम्बर को उसके उपभोक्ता खाते एवं एलपीजी कन्जूमर नम्बर से लिंक किया जायेगा। यदि एलपीजी उपभोक्ता के पास आधार कार्ड नहीं है तब भी अनुदान की राशि सीधे उसके बैंक खाते में करायी जा सकेगी।

वन विभाग

- सरिस्का बाघ परियोजना में 3165 तथा रणथम्भौर बाघ परियोजना में 5653 एल.पी.जी. कनेक्शन दिये गये।
- रणथम्भौर, सरिस्का एवं केवलादेव संरक्षित क्षेत्र में पर्यटकों की सुविधा हेतु ऑन लाईन बुकिंग कार्य प्रारम्भ किया गया है। पर्यटकों को E-Mitra के माध्यम से बुकिंग सुविधा उपलब्ध है।
- राष्ट्रीय उधान एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों में पर्यटन हेतु नौकायन संचालन के संबंध में दिनांक 05.02.2014 से दिशा निर्देश जारी किये गये।
- टाईगर रिजर्व क्षेत्र में सुरक्षा के उपयुक्त प्रबन्धन एवं आश्रय स्थल के समुचित विकास के फलस्वरूप बाघो में वंशवृद्वि हुई एवं रणथम्भौर में 8 एवं सरिस्का में 6 शावको का जन्म हुआ।
- पर्यटकों के भ्रमण हेतु इको टयूरिज्म साईटस मेनाल एवं हमीरगढ (भीलवाडा) पंचकुण्ड (अजमेर) बस्सी एवं सीतामाता (चितौडगढ), सून्डामाता (जालौर), गुढा विश्नोई (जोधपुर), मुकन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान एवं भैसरोडगढ को खोला गया।
- राजस्थान वन अधिनियम, 1953 को प्रदेश को काश्तकारो/ग्रामीणों के हितों को सुरक्षित रखते हुए राजस्थान वन संशोधन अधिनियम, 2014 दिनांक 04.03.2014 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होकर राज्य में लागू किया जा चुका है।
- बनास एवं लूनी नदी परियोजना क्षेत्र में भू एवं मृदा संरक्षण कार्य के तहत दिसम्बर 2013 से मई, 2014 तक 2393 हैक्टेयर कृषि एवं बंजर भूमि पर

एनीकेट निर्माण, फार्म पान्ड, कन्टूर बण्डिग कर 109 संरचनाओं का निर्माण कार्य कराया गया है जिससे विशेष रूप से कृषको को लाभ हुआ।

- प्रदेश में वृक्षारोपण को बढावा देने एवं वृक्ष आवरण बढाने के उद्देश्य से 17 जिलों में यथा अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बांरा, कोटा, झालावाड, चित्तौडगढ, प्रतापगढ, राजसमंद, उदयपुर एवं सिरोही में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित राशि रूपये 282.49 करोड़ की परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

- तेन्दू पत्ता इकाईयों के व्ययन से 991.83 लाख रूपये एवं अन्य विविध आय से 14.70 लाख रूपये कुल आय रूपये 1006.53 लाख प्राप्त हुई।

- अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को तेन्दू पत्ता से प्राप्त आय से 419.26 लाख रूपये एवं बांस से प्राप्त आय 259.92 लाख रूपये, कुल 679.18 लाख हस्तान्तरित किये।

सम्पदा विभाग

- 13 दिसम्बर, 2013 से जुलाई, 2015 तक की अवधि में 5553610 राजकीय आवासों का किराया तथा 3780928 नजूल सम्पत्तियों का किराया/क्षतिपूर्ति राशि/लीजमनी प्राप्त हुई है।

गृह (पुलिस) विभाग

- **सी.यू.जी प्लान** के अन्तर्गत प्रथम चरण में 35000 सिमें एवं दूसरे चरण में 25600 सिमें अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध करवाई गई।

- राज्य में प्रशासनिक भवनों के अन्तर्गत 6 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/डिप्टी कमाण्डेट कार्यालय, 24 सीओ कार्यालय, 32 पुलिस थाना, 9 महिला थाना एवं 17 पुलिस चौकियों के भवन निर्माण कराये जा रहे है। इन कार्यो पर राशि 934.93 लाख रूपये व्यय की गई है।

- 23 सीओ आवास एवं पुलिस थानों पर 97 अपर सर्बो. एवं 274 लोअर सर्बो. आवासीय भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इन कार्यो पर 46.58 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है।

- 13वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि में पुलिस प्रशिक्षण संसाधनों के क्लास रूम, बैरिक, ऑपटेकल कोर्स, इण्डोर शूंटिग रेंज आदि का निर्माण कराया जा रहा है, जिस पर 4056.13 लाख रूपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

- नवीन पुलिस मुख्यालय भवन के निर्माण पर 10081.09 लाख रूपये का व्यय किया जा चुका है।

- **यातायात शाखा–** मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर पुलिस द्वारा 25,26,798 वाहनों का चालान किया गया एवं 21,53,750 प्रशमन वाहनों से राशि रूपये 43,92,65,728 वसूल की गई। खतरनाक तरीके से वाहन चलाते पाये जाने वाले वाहनों के विरूद्ध 2,79,336 की भा. द.स. में कार्यवाही 920 है एवं शराब पीकर वाहन चलाते पाये जाने वाले 42490 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।

एससीआरबी

- राज्य मे सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के लिए 1306.92 लाख रूपये का उपयोग किया जा चुका है।

- राजस्थान के पुलिस थानों में दर्ज मुकदमों की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए, राजस्थान पुलिस वेब पोर्टल (http://police.rajasthan.gov.in) पर एक मॉड्यूल विकसित किया गया है। विभागीय वेब पोर्टल के होम पेज पर अपनी एफ.आई.आर. का स्टेटस जाने (FIR e-Status) लिंक उपलब्ध कराया गया है। एफ.आई.आर. की वर्तमान स्थिति मोबाईल नम्बर पर sms द्वारा प्रेषित कर दी जायेगी। इस सुविधा के माध्यम से वर्तमान में लंबित प्रकरणों की स्थिति तथा माह फरवरी 2011 व इसके पश्चात सभी प्ररकणों की स्थिति उपलब्ध करायी जा रही है।

- माह अगस्त, 2015 तक साईबर क्राईम थानें पर कुल 687 रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिनमें से 37 पर थानें पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है, 04 पर जांच जारी है, 16 का थानें पर ही निस्तारण किया जा चुका हैा शेष 630 रिपोर्ट आवश्यक कानूनी कार्रवाई हेतु अन्य जिलों में प्रेषित की गई है।

- कलर पोट्रेट बिल्डिगं सिस्टम के अतर्गत 16 रेखा चित्र तैयार कर सम्बन्धित थानों को उपलब्ध कराया गया।

आरएसी

- प्रतापगढ जिले मे '**महाराणा प्रताप आर्म्ड बटालियन**' मुख्यालय हेतु मौजा हथुनिया पटवार मण्डल कुणी में 20 हेक्टेयर भूमि आवंटित करवाई गई।
- 14वीं बटालियन (नवीन) आरएसी मुख्यालय हेतु ग्राम कस्बा पहाडी प्रथम, तहसील पहाडी, जिला भरतपुर में 12.77 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। बटालियन हेतु 1074 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्यालय स्टॉफ हेतु 13 पद स्वीकृत किये गये है। बटालियन का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक 24.12.2014 को किया गया है।
- 35 वें नेशनल गेम्स में 20 किमी वॉक में प्रथम स्थान पर रहकर स्वर्ण पदक प्राप्त कर नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाली श्रीमति सपना महिला हैड कानि0 8725 को स्पोटर्स कोटे से उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई।
- दिनांक 11 से 20 फरवरी, 2015 तक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में आयोजित 33 वीं अखिल भारतीय पुलिस घुडसवारी प्रतियोगिता में राज पुलिस घुडसवारी टीम ने समग्र रूप से तृतीय स्थान पर रहकर विभिन्न ईवेन्ट में 06 स्वर्ण पदक, 05 रजत एवं 04 कॉस्य पदक प्राप्त किये। श्री भागीरथ सिंह को राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर की रिसाला में प्रशिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई।

रेलवे

- लूट, चोरी, जहरखुरानी, वाहन चोरी के दर्ज 2060 प्रकरणों में से 594 अभियुक्तो को गिरफतार कर 14407056 रूपये का माल मसरूका बरामद किया गया।
- निरोधक कार्यवाही के अन्तर्गत 3745 व्यक्तियों को नेक चलनी हेतु पाबन्द करवाया गया एनडीपीएस एक्ट एवं माईनर एक्ट के 954 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें 1293 अभियुक्तों गिरफतार कर अवैध सामग्री बरामद की गई।

सी.आई.डी. अपराध शाखा

- **मादक पदार्थ**– राज्य में एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत 1471 प्रकरण दर्ज कर 1800 अभियुक्तों को गितफतार कर हेरोईन 8.932, ब्राउन शुगर 4.913, स्मैक 12.439, चरस 363.91, अफीम 1015.310, गांजा 2853.375, डोडापोस्त 119405.374 कि.ग्रा. जप्त किये गये।

- **आर्म्स एक्ट** के अन्तर्गत 9824 प्रकरण दर्ज कर 10157 अभियुक्तों को गिरफतार किया जाकर 410 बन्दुकें 1846 रिवॉल्वर/कटटे, 4763 कारतूस व धारधार हथियार बरामद किये गये।

- **अवैध शराब**– आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 24196 प्रकरण दर्ज कर 24401 अभियुक्तों को गिरफतार किया जाकर 3441288 बोतल अंग्रेजी शराब, 445077 बोतल देशी शराब, 101579 बोतल कच्ची शराब एवं 950844 बीयर बोतल बरामद की गई।

- **विस्फोटक अधिनियम** के अन्तर्गत 969 प्रकरण दर्ज कर 970 अभियुक्तों को गिरफतार किया जाकर 204403 जिलेटिन 79003 डेटानेटर व अन्य उपकरण बरामद किये गये।

- **जुआ एक्ट** अन्तर्गत 30169 प्रकरण दर्ज कर 57413 अभियुक्तों को गिरफतार किया जाकर जुआ राशि 61103674 रू बरामद की गई।

- **केस आफिसर स्कीम** में माह मई 2015 तक 12178 प्रकरण लिये गये तथा 6601 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, सजा का प्रतिशत 66.52 रहा है।

- **हार्ड कोर क्रिमिनल** – राज्य में 1601 हार्ड कोर क्रिमिनल चयनित है जिनके क्रियाकलापों पर सघन निगरानी जारी है।

सिविल राईटस

- राज्य में कुल 40 महिला थानों और 40 महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्रो का गठन किया जा चुका है।

- अनुसूचित जाति/जनजाति पर अत्याचार संबंधी अपराधों के त्वरित अनुसंधान हेतु राज्य के 36 जिलो में अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकोष्ठों

का गठन किया गया। **अनुसूचित जाति/जनजाति के पीडित अपनी समस्या** सीधे ही उच्चाधिकारियों तक निःशुल्क पहुंचाने के लिये सीआईडी सीबी राजस्थान पुलिस मुख्यालय, जयपुर पर **हेल्प लाईन सेवा एक टोल फ्री टेलीफोन नं. 18001806025 उपलब्ध** है।

- महिलाओं को कार्यस्थल पर लैगिंग उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के क्रियान्वयन हेतु समस्त महानिदेशक, पुलिस/अति. महानिदेशक पुलिस, महानिरीक्षक पुलिस व समस्त पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त को निर्देश जारी किये गये।

- **महिलाओं की सुरक्षा** हेतु राजस्थान पुलिस द्वारा 1 जनवरी, 2015 से जयपुर आयुक्तालय/जोधपुर आयुक्तालय व कोटा शहर में व्हाटएप का अभिनव प्रयोग प्रारम्भ किया गया है। जिनमें पीड़ित महिलाएं व्हाटएप मोबाईल नम्बरों पर वीडियों रिकार्डिंग/क्लिपिंग/ओडियों/फोटों के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। व्हाट्सएप नम्बर– जयपुर आयुक्तालय– 08764868100/08764868200, जोधपुर आयुक्तालय–09330440800 व कोटा शहर– 0946880005।

- भारत सरकार द्वारा **महिलाओं के विरूद्ध बढते अपराधों के अनुसंधान हेतु** ईकाई स्थापित करने हेतु 7 आई0यू0सी0ए0 (इन्वेस्टीगेशन यूनिट फोर क्राइम अगेन्सट वूमन) ईकाईयों को राजस्थान राज्य में स्थापित किया जाना है। प्रथम चरण में पाली, अजमेर, भीलवाडा, अलवर, गंगानगर, झालावाड एवं उदयपुर जिलों में उक्त इकाई खोली जाएगी।

कारागृह विभाग

- उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर को दिनांक 11.02.2015 को प्रारम्भ किया गया।

- लम्बे समय से बंद उप कारागहो बिलाडा, भादरा एवं फलौदी को पुनः चालू किया गया।

- महर्षि दयानंद सरस्वती जयन्ती के अवसर पर दिनांक 24.02.2014 को राज्य की कारागहों में **निरूद्ध बंदियों** की सजा माफ करते हुये लगभग **119**

बंदियों को समय पूर्व रिहा किया गया एवं लगभग **2295 बंदियों को रेमीशन का लाभ** दिया गया

- **जेल भवनों की मरम्मत** आदि कार्यो के लिए **507.21 लाख रूपये की स्वीकृतियां** जारी की गई है।
- **273 बंदियों को स्थाई पैरोल पर रिहा** किया गया।
- **977** अतिरिक्त **बंदियों को बंदी खुला शिविरों में** भेजा गया।
- बंदी खुला शिविरों में बंदियों को स्वयं के खर्चे पर आवास–व्यवस्था करने की शर्त पर 601 बंदियों की क्षमता में वृद्धि की गई। वर्ष 2014–15 में 4 नये बंदी खुला शिविर 45 बंदी क्षमता के प्रारम्भ किये गये। वर्तमान में खुला बंदी शिविरों की संख्या 27 तथा उनकी बंदी क्षमता 1297 हो गई है।
- राज्य की **समस्त जिला कारागृहों** एवं **महिला बंदी सुधारगहों** पर दिनांक 01.04.2014 से **केन्टीन व्यवस्था लागू** की गई। दिनांक 16.03.2015 को केन्टीन से सामान क्रय की सीमा रूपये 1000 से बढाकर 1400 रूपये की गई है।
- केन्द्रीय कारागृह जयपुर, जोधपुर, अजमेर एवं महिला बंदी सुधार गृह जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, जिला कारागृह अलवर, भीलवाड़ा एवं झालावाड़ में IGNOU सेन्टर प्रारम्भ किये गये हैं।
- बंदी मजदूरी में वृद्धि कर अकुशल श्रमिक बंदी की 189 तथा कुशल श्रमिक बंदी की 209 रूपये की गई।

गृह अभियोजन विभाग

- भारतीय दण्ड संहिता सजा का माह मई का प्रतिशत 66.8 तथा अन्य का 89.80 प्रतिशत है।
- अभियोजन भवन कोटा के प्रथम व द्वितीय तल का निर्माण कार्य एंव भूतल का नवीनीकरण कार्य पूर्ण तथा अभियोजन भवन, जोधपुर और टोंक का निर्माण प्रगति पर है।

- अभियोजन विभाग की **वेबसाईट** (www.prosecution.rajasthan.gov.in) **लाँच** की गई।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

- ब्यूरो द्वारा माह अगस्त, 2015 तक कुल **777 प्रकरण पंजीबद्ध** किए गए, जिनमें रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडे जाने से संबंधित 434 प्रकरण, पद के दुरूपयोग के 303 प्रकरण एवं आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के 40 प्रकरण दर्ज किये गऐं हैं।

- ब्यूरो द्वारा माह **904 प्रकरणों का अंतिम नतीजा न्यायालय में प्रस्तुत** किया जा चुका है जिनमें 687 प्रकरणों में चालान एवं 217 प्रकरणों में अंतिम प्रतिवेदन पेश किऐ गऐ।

- 115 प्राथमिक जांचें दर्ज की गई तथा कुल **269 प्राथमिक जांचों का निस्तारण** किया गया।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला

- क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला **अजमेर एवं बीकानेर में विष खण्ड** 17 फरवरी, 2014 से **प्रारंभ** किया गया है।

- क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, **भरतपुर में** दिनांक 23.02.2015 से **केस परीक्षण कार्य आरंभ** कर दिया गया है, यहाँ जैविक, सीरम, विष एवं भौतिक अनुभाग आरंभ किये गये है।

- क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर में जैविक अनुभाग का कार्य दिनांक 23.02.2015 से आरंभ कर दिया गया है।

- विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर मे ट्रेनिंग सेंटर के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है।

उद्यानिकी विभाग

- 38290 हैक्टेयर क्षेत्र में **फंव्वारा सिंचाई संयंत्र**, 37382 हैक्टेयर क्षेत्र में **बूंद–बूंद सिंचाई एवं मिनि स्प्रिंक्लर**, 14049 हैक्टेयर क्षेत्र में **नवीन फल बगीचे**, 61.73 हैक्टेयर क्षेत्र में **फूल बगीचे**, 5733 हैक्टेयर क्षेत्र में **मसाला बगीचे**,

872 **वर्मीकम्पोस्ट इकाईयाँ** एवं 729752 वर्ग मीटर **ग्रीन हाउस** की स्थापना की गई। 4223 हैक्टेयर क्षेत्र में **समन्वित कीट व्याधि प्रबंन्धन,** 263 **जल संग्रहण ढाचों** का निर्माण पर तथा 9876 हैक्टेयर क्षेत्र में **पौध संरक्षण रसायनों पर सहायता** कृषकों को उपलब्ध करायी गई है।

उद्योग विभाग

- **30749 लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना** उपरान्त संबंधित जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा ज्ञापन जारी किये गये। जिसमें 155014 उद्यमियों को रोजगार सुलभ हुआ एवं इन उद्यमों में 4581.73 करोड़ रूपये का पूंजी विनियोजन हुआ।
- उद्यमिता विकास योजनान्तर्गत 2922 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।
- लघु उद्योग एवं ग्रामीण व हस्तशिल्प उद्योगो के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन में सहयोग देने की दृष्टि से जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर **398 औद्योगिक प्रौत्साहन शिविरों का आयोजन** किया गया।
- युवकों के लिए नये रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत **2727 उद्यमियों को ऋण वितरण** किया गया।
- महिलओं को स्वरोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से **गृह उद्योग** योजना में **5483 महिलाओं को प्रशिक्षण** दिया गया।
- बुनकरों के कल्याणार्थ महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजनान्तर्गत **5113 बुनकरों का बीमा** किया गया।
- विधिक **बाट एवं माप** योजना में **1955.62 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त** हुआ। व्यापारिक नियमों का उल्लंधन करने पर 3256 व्यापारियों का चालान किया गया।
- हस्तशिल्पियों को सहायता एवं सुविधा देने के लिए 7331 दस्तकारों को परिचय पत्र जारी करवाये गयें।

- **नई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2014** राज्य में **8 अक्टूबर, 2014 से लागू** की गई।

- राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के उत्थान हेतु दिनांक 13.06.2014 को अधिसूचना जारी कर 5 योजनाएं लागू की गई है। उक्त योजनाओं में 50. 00 लाख रूपये अनुदान राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान।

- राज्य में **एमएसएमई**, उद्योगों के उद्यमियता ज्ञापन जारी करने हेतु **आनलाईन पंजीकरण सुविधा** समस्त जिला उद्योग केन्द्रों में लागू कर दी गई है।

निवेश संवर्द्धन ब्यूरो (BIP)

- मैसर्स होण्डा कारर्स ने रूपये **1000 करोड़ के प्रस्तावित निवेश** से अपने **कार विनिर्माण संयंत्र की स्थापना टपूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र** में की है जो 1000 लोगो हेतु रोजगार सृजित करेगा। दिनांक 24.02.2014 को माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा इसका उद्घाटन किया गया।

- मैसर्स हीरो मोटाकॉर्प द्वारा **नीमराना**, अलवर में अपनी **टू–व्हीलर विनिर्माण इकाई** एवं ग्लोबल पार्ट्स सेन्टर स्थापित किया गया है जिसमें **500 करोड़ रूपये का निवेश प्रस्तावित** है। यह परियोजना लगभग 1000 लोगों को रोजगार प्रदान करेगी। दिनांक 21.10.2014 को माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा इसका उद्घाटन किया गया।

- सेन्ट गोबेन, फ्रॉस की प्रतिष्ठित कंपनी ने **कहरानी, भिवाड़ी** में **1000 करोड़ रूपये के प्रस्तावित निवेश** से अपने **विशाल फ्लोट ग्लास संयंत्र की स्थापना** की है जो 1000 लोगों हेतु रोजगार सृजित करेगा। इस संयंत्र का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक 27.10.2014 को किया गया।

- मैसर्स जे.सी.बी. इंडिया लि., **अर्थमूविंग तथा कन्सट्रक्शन इक्विपमेन्ट विनिर्माण की** विश्व विख्यात कंपनी ने देश में अपनी **चौथी विनिर्माण इकाई** की स्थापना **जयपुर में** की है। इस इकाई में आगामी **7 वर्षो में** लगभग **500 करोड़ रूपये का निवेश** किया जायेगा एवं यह 1000 लोगों को

रोजगार प्रदान करेगी। दिनांक 14.11.2014 को माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा इसका उद्घाटन किया गया।

- राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग द्वारा **ई–बिज परियोजना** आरंभ की गई है। **राजस्थान** को इस परियोजना में **पायलट राज्य** के तौर पर सम्मिलित किया गया है। ई–बिज परियोजना का उद्देश्य व्यवसायों के पूरे जीवनचक्र के लिये विभिन्न मंजूरी की प्रक्रियाओं को सरल एवं विलंब रहित बनाने के लिये विभिन्न कानूनों के तहत निर्धारित **विनियामक प्रक्रियाओं** की re-engineering करतें हुये **एकल खिड़की सेवायें** उपलब्ध कराना है। इस परियोजना के अन्तर्गत 26 केन्द्रीय सेवाओं तथा 24 राज्य सेवाओं को सम्मिलित किया जायेगा। राज्य सरकार तथा भारत सरकार के बीच ई–बिज परियोजना हेतु एम.ओ. यू. हस्ताक्षरित कर लिया गया है।

- एकल खिडकी व्यवस्था के तहत स्थापित ऑनलाइन इलैक्ट्रोनिक **सिंगल विण्डो क्लीयरेन्स** व्यवस्था के माध्यम से 13 दिसम्बर, 2013 से 31 अगस्त, 2015 तक बी.आई.पी. में **24180.73 करोड़ रूपये के कुल 138 निवेश प्रस्ताव** प्राप्त हुए है, जिनमें से **1464.87 करोड़ रूपये के निवेश** के 44 प्रस्तावों के संदर्भ में **वांछित अनुमतियॉ/स्वीकृतियॉ जारी** की जा चुकी हैं।

राजस्थान वित्त निगम

- 346.35 करोड़ रूपये का ऋण स्वीकृत किया जाकर **268.43 करोड़ रूपये का ऋण वितरित** किया गया तथा **427.82 करोड़ रूपये की ऋण वसूली** की गई है।

रीको

- विनियोजन अन्तर्गत 367.24 करोड़ रूपये की सावधि ऋण स्वीकृति दी जाकर 193.65 करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया गया है तथा 333.01 करोड़ रूपये की वसूली की गई है।

- आधारभूत गतिविधि अन्तर्गत **7682.62 एकड़ भूमि अवाप्त** की गई। **1971.42 एकड़ भूमि विकसित कर 1034 भूखण्ड आवंटित** किये गये।

- **1182.55 करोड़ रूपये** की राशि **इन्फ्रा** इकाईयों **पर खर्च** की गई एवं **1266.95 करोड़ रूपये** की **वसूली** की गई।

राजस्थान स्माल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.

- हस्तशिल्पियों से कुल 162.92 लाख रूपये के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प उत्पाद सीधे क्रय कर उनको लाभ पहुचाया गया है।
- हस्तशिल्प सामान का कुल विक्रय 1572.36 लाख रूपये हुई हैं।

रूडा

- जयपुर की ब्ल्यू पोटरी का भौगोलिक उपदर्शन में रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लिया गया है। यह ब्ल्यू पोटरी कला के संरक्षण एवं दस्तकारों के हितो के लिए मिल का पत्थर साबित होगा।
- **कोटा डोरिया वस्त्रों** के उत्पादन में गति लानें एवं बाजार मांग की पूर्ति के लिये वर्तमान में प्रयुक्त किये जा रहे पिंट लूम्स के अलावा तकनीकी सुधार के अर्न्तगत फ्रेम लूम डबल बाक्स तथा जैकार्ड डाबी को कोटा डोरिया अस्थायी सीएफसी में स्थापित किया गया है। इस नवाचार से बुनकरों को परम्परागत प्रिंट लूम के स्थान पर उन्नत लूम पर बुनाई प्रशिक्षण से उत्पादन में वृद्धि होगी तथा उनकी आमदनी में इजाफा होगा। 40 बुनकरों को प्रशिक्षित किया गया है।
- रूडा द्वारा 4412 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

राजस्थान स्टेट हैण्डलूम कॉरपोरेशन

- **3456.71 लाख रूपये के हाथकर्घा वस्त्रों की बिक्री** की गई एवं **502 डिजाईनों का विकास** किया गया। **73 मेले/प्रदर्शनियों का आयोजन** किया गया तथा विपणन प्रोत्साहन अन्तर्गत **बुनकरों से 32.58 लाख रूपये के वस्त्र खरीदे** गये।
- 300 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड

- खादी क्षेत्र में 19769 व्यक्तियों को एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र में 8539 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है।
- खादी क्षेत्र के अन्तर्गत **6532 लाख रूपये का उत्पादन** किया गया।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तहत **1160 ग्रामोद्योग इकाईया स्वीकृत**/ वितरित की गई।

राजस्थान बुनकर संघ

- बुनकर संघ द्वारा 2818.28 लाख रूपये की बिक्री की गई है।
- बुनकर संघ ने अपनी **कार्य प्रणाली में सरलीकरण** के प्रयासो के अंतर्गत डिपो प्रभारियो को पूर्व मे भुगतान की सीमा बढाकर 50,000 रू की गई।
- विक्रय वापसी पद्धति पर बुनकर संघ के 11 बिक्री केन्द्रो पर 14 सदस्य समितियों के माध्यम से 91 लाख रू वार्षिक बिक्री लक्ष्य निर्धारित कर बिक्री प्रारम्भ करवा दी गई है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

- **अधिस्वीकृत पत्रकारों** के लिए **मेडिक्लेम पालिसी** की **वित्तीय सीमा** 5 लाख रूपये से बढाकर **10 लाख** की गई तथा कुल 279 अधिस्वीकत पत्रकारों को प्रिमियम राशि में 89 लाख 45 हजार रू की सहायता पत्रकार कल्याण कोष से उपलब्ध करायी गयी हैं।
- **अधिस्वीकृत फोटो पत्रकारों** के लिए **समूह दुर्घटना बीमा योजना** लागू की गई है।
- **अधिस्वीकृत पत्रकारों** हेतु राज्य कर्मचारियों के लिए लागू राज मेडिक्लेम पॉलिसी के अनुरूप, **2 लाख रूपये के बीमा धन की Standard Mediclaim Policy** साधारण बीमा निधि द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है। Cash less सुविधा पूर्ववत 7 गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए जारी रहने के प्रावधान कर दिये गये है। कुल 197 अधिस्वीकृत पत्रकारों को प्रिमियम

राशि में 14 लाख 09 हजार रू की सहायता पत्रकार कल्याण कोष से उपलब्ध करायी गयी हैं।

- प्रदेश की कला, साहित्य, संस्कृति एवं भाषा के संवर्धन तथा राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार हेतु सुजस प्रकाशित की जा रही है।

- राज्य सरकार की बजट घोषणाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ''सबजन विकास सबजन उत्थान बजट घोषणा 2014 15'' नई दिशा नया राजस्थान, बजट घोषणा 2015–16 प्रकाशित कर वितरित की गई।

- विभाग के जनसम्पर्क अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाकर विभागीय कार्य के त्वरित निष्पादन के लिये लेपटोप उपलब्ध कराये गये।

श्रम विभाग

- औद्योगिक निवेश, उत्पादन तथा रोजगार के अवसरों को बढावा देने के लिए **औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947** एवं **ठेका श्रम (उन्मूलन एवं विनियमन) अधिनियम, 1970 में राज्य सशोधन** क्रमशः ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2014 एवं औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2014 की अधिसूचना राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 11 नवम्बर, 2014 एवं 12 नवम्बर,2014 को जारी की गई।

- श्रम विभाग की **नागारिकोन्मुखी गतिविधियों व विभागीय कार्यो के कम्प्यूटराईजेशन** का **प्रोजेक्ट LDMS** (Labour Department Management System) सभी जिला कार्यालयो के लिए DOIT के माध्यम से तैयार कराया गया। इसे दिनांक 13.3.2015 को **लोकार्पण (Go Live) किया** गया।

- भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा 336451 निर्माण श्रमिकों का हिताधिकारियों के रूप में पंजीकृत किया गया तथा **68021 हिताधिकारियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध** कराया गया।

- भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम के अन्तर्गत **516.43 करोड़ रूपये उपकर** राशि **एकत्र** की गई।

- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए **न्यूनतम मजदूरी** क्रमश: रूपये 189/–, 199/–, 209/– एवं रूपये 259/– प्रतिदिन अधिसूचना दिनांक 28.1.2015 द्वारा पुनरीक्षित की गई हैं। ये दरें दिनांक 1.1.2014 से प्रभावी है।

- विश्वकर्मा पेन्शन योजना के 1964 सदस्यों को केन्द्र सरकार की **एनपीएस स्वावलम्बन योजना से जोडा** गया।

- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत श्रमिकों के सेवामुक्ति एवं सेवा शर्तों आदि की 2492 शिकायतों, 1264 विवादों तथा 1078 असफल वार्ता प्रतिवेदनों का निस्तारण किया गया।

- आद्यौगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत अभियोजन स्वीकृति एवं अनुचित श्रम व्यवहार के 170 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

- श्रम न्यायालयों/आद्यौगिक न्यायाधिकरणों द्वारा **3899 प्रकरण निर्णित** कर श्रमिकों को राहत पहुंचाई गई।

रोजगार विभाग

- **रोजगार सहायता शिविर** – बेरोजगार आशार्थियों को रोजगार/स्व रोजगार/ प्रशिक्षण संबंधी सूचनाएं/सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु रोजगार सहायता शिविरों में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र एवं संबंधित विभागों/एजेन्सियों को आमंत्रित कर इनके माध्यम से बेरोजगार आशाथिर्यों को अवसर उपलब्ध करवाये जाते है। दिसम्बर, 2013 से अगस्त, 2015 तक 116 रोजगार सहायता शिविर आयोजित कर 95589 आशार्थियों को लाभांवित किया गया।

- **अक्षत कौशल योजना**, 2009 अन्तर्गत 77 आशार्थियों को कौशल वाउचर वितरित कर लाभांवित किया गया।

- **राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना, 2012** के तहत 54622 आशार्थियों को लाभांवित किया गया। कुल 40.24 करोड़ रूपये की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित की गई, जिसमें पुरूष आशार्थियों को 25.90 करोड़ रूपये तथा 14.34 करोड़ रूपये महिला आशार्थियों को वितरित की गई।

- **स्टेट सर्विस डिलेवरी गेटवे** (एसएसडीजी)–2,33,440 बेरोजगार आशार्थियों का ऑन–लाईन पंजीयन किया गया।

ईएसआई

- **सरनाडूंगर** एवं **कोटपूतली** (जयपुर) तथा **जैसलमेर में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय** स्थापित करने की **स्वीकृति** प्रदान की गई ।

- उद्योग विहार (श्रीगंगानगर), सरनाडूंगर व कोटपुतली (जयपुर), दौसा, मोरडी (बांसवाडा), नीमकाथाना (सीकर), कालाडेरा (जयपुर) तथा जैसलमेर में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू की गई।

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा सर्वे किया जाकर वर्ष में 0.62 लाख नये बीमा योग्य कर्मचारियों को चिन्हित किये जाने के उपरान्त कर्मचारी राज्य बीमा योजना से लाभान्वित किया गया।

कारखाना और बॉयलर विभाग

- 644 नये कारखाने पंजीकृत किये गये जिनमें लगभग 36785 श्रमिकों को रोजगार मिला।

- 346 नये बायलरों का पंजीयन किया गया एवं विभागीय निरीक्षकों द्वारा 10476 निरीक्षण किये गये।

- 285 कारखानों से 1694 वायुगर्भित प्रदूषकों के नमूने एकत्रित किये गये एवं विश्लेषण किया गया।

- 70 सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें 1792 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।

स्वायत्त शासन विभाग

- **भरतपुर** को **नगर निगम, किशनगढ़ बास**, **इटावा** एवं **रूपवास** को **नगर पालिका घोषित** किया गया।

- **नगर परिषद धौलपुर** में सुभाष, गॉधी व अम्बेडकर पार्कों के एकीकरण एवं **चौराहों के विकास कार्य हेतु रूपये 1.50 करोड़ की स्वीकृत**। कार्य प्रगति पर तथा लगभग 35 प्रतिशत कार्य पूर्ण।

- **सभी 184 स्थानीय निकायों** के **मास्टर प्लान** तैयार कर **अधिसूचित** किये जा चुके है।

- **राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001** वर्तमान में केवल जिला मुख्यालयों पर लागू है। राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 को **70 हजार या इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरा/कस्बो में** लेकर **लागू** किया गया।

- पूर्व की भांति जनता द्वारा **निर्वाचित पार्षदगणों द्वारा** अप्रत्यक्ष रूप से **नगरीय निकायो** के **प्रधान निर्वाचित** किये जाने के तहत नियमों में संशोधन किया जा कर नवम्बर 2014 के निकाय चुनाव उन्हीं प्रावधानो के अन्तर्गत करवाये गये।

- विभिन्न **अग्नि सेवाओं** के सुदृढ़ीकरण हेत 155 महिला फायरमेनों सहित कुल **473 फायरमेनो का चयन** किया गया है।

आर.यू.आई.डी.पी.

- **बाडमेर** में लगभग **23 करोड़ रूपये की लागत** से रेल्वे क्रोसिंग संख्या 323 पर नेशनल हाईवे संख्या 15 पर **दो लेन रेल्वे ओवरब्रिज** का **निर्माण** किया गया है।

- **बूंदी शहर** में लगभग **1.58 करोड़ रूपये** की **लागत** से **हैरिटेज गेट 84 खम्बो** की **छतरी एवं बावड़ी** आदि का **रेस्टोरशेन** आदि का कार्य किया गया है।

- **झालावाड़ शहर** में लगभग **2.25 करोड़ रूपये** की लागत से **सिटीवाल गेटस गढ पैलेस** एवं फोर्ट में **विकास कार्य** किये गये।

- **सीकर शहर** में लगभग **8.87 करोड़ रूपये** की **लागत** से **वाटर सप्लाई** पैकेज के तहत **24 कि.मी. पाईप लाईन** व **2 स्वच्छ जलाशय** आदि का कार्य पूर्ण किया गया।

- **भरतपुर शहर** में लगभग **20.25 करोड़ रूपये** की **लागत** से **वाटर सप्लाई** पैकेज का कार्य पूर्ण किया गया जिसके तहत **25 किमी पाईप लाईन**, 05 पानी की टंकी, 02 पम्पिंग स्टेशन व 01 **स्वच्छ जलाशय** का **निर्माण** हुआ है।

- **धौलपुर शहर** में लगभग **13.75 करोड़ रूपये** की **लागत** से **जगदीश चौराहे से पंचगॉव सैपउ रोड** पर **4.65 किमी फोरलेन सड़क** का निर्माण किया गया है।

- **सीकर शहर** में लगभग **10.67 करोड़ रूपये** की **लागत** से **झुन्झुनू बाईपास से बस स्टैण्ड** तक लगभग **4 किमी फोरलेन सडक** का निर्माण किया गया।

- **सीकर शहर** में लगभग **24.60 करोड़ रूपये** की **लागत** से **25 क्षेत्रों में** लगभग **49 कि.मी. सडकों का निर्माण** किया गया।

- **नागौर शहर** में लगभग **16.17 करोड़ रूपये** की लागत से **16 कि.मी. सीवर लाईन** का कार्य पूर्ण किया गया।

- **अलवर** में अलवर मथुरा बडी रेलवे लाईन पर **22.25 करोड़** रूपये की **लागत** से अलवर में **आरओबी** का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।

- **करोली शहर** में लगभग **29 करोड़** की **लागत** से लगभग **18.34 कि.मी. मुख्य पेयजल लाईन** एवं **74.83 कि.मी. वितरण लाईन** डाली गई इसके अलावा 4 पानी की टकियॉ 1 **स्वच्छ जलाशय टैंक** का कार्य पूर्ण किया गया।

- **नागौर शहर** में लगभग **24.75 करोड़** की **लागत** से 7 पानी की टकिया, 01 **स्वच्छ जलाशय**, **18 कि.मी. मुख्य** एवं **75.00 कि.मी. वितरण पेयजल लाईनो** का कार्य पूर्ण किया गया।

- **राजसमन्द शहर** में लगभग **12.00 करोड़** की **लागत** से लगभग **8.00 कि. मी. सडको** का निर्माण पूर्ण किया गया।

- बूंदी शहर में लगभग 24.00 करोड़ रूपये की लागत से 26 किमी राइजिंग मेन, 19 किमी वितरण लाइन, 5 पानी की टंकियां, 1 स्वच्छ जलाशय एवं 4 पंचिंग स्टेशन का कार्य किया गया।

- बाड़मेर शहर में 6.90 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य लगभग 6.17 करोड़ की लागत से पूर्ण किया गया।

- सीकर शहर में जलप्रदाय योजना के अन्तर्गत लगभग 30 किमी पाईप लाईन डालने का कार्य लगभग 7 करोड़ की लागत से पूर्ण किया गया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- **चिकित्सा सेवाओं का विस्तार** – 3 नये उप स्वास्थ्य केन्द्र, 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये।

- **मानव अंग उत्तक प्रत्यारोपण नियम, 2014** के अन्तर्गत एडवाईजरी कमेटी एवं राजकीय रजिस्ट्री सेल का गठन कर रजिस्ट्री सेल को एक्टिव कर दिया गया है।

- राज्य में **1695 (नियमित)**, 442 (यू.टी.बी.), चिकित्सा अधिकारी एवं 87 (नियमित) दन्त चिकित्सा अधिकारी को **नियुक्ति** दी गई।

- मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत जुलाई, 2015 तक 13.07 करोड़ रोगियों (अन्तरिम) को लाभावित्त किया गया है।

- मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अन्तर्गत प्रतिदिन लगभग 1 लाख निःशुल्क जांचे की जा रही है एवं जुलाई, 2015 तक 6.00 करोड़ निःशुल्क जांचे की जा चुकी है।

- **औषधि नियंत्रण संगठन** – दवाईयों के कुल 5843 नमूने जांच हेतु लिये गये व 176 विक्रय लाईसेंस निरस्त किये गये। कमियां पाये जाने के कारण 2440 विक्रय लाईसेंस निलम्बित किये गये। राज्य के विभिन्न न्यायालयों में 758 वाद विचाराधीन है।

- **क्षय रोग नियन्त्रण** – 3023 एम.डी.आर. टी.बी. रोगियों, 152 एक्स.डी.आर. टी.बी. रोगियों एवं 157079 क्षय रोगियों को उपचार पर रखा गया।

- **कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम** – 1724 नये कुष्ठ रोगियों की खोज की गई एवं 1746 कुष्ठ रोगियों को उपचारोपरान्त रोग मुक्त किया गया। राज्य में वर्तमान में कुष्ठ रोग की प्रसार दर 0.16 प्रति 10000 जनसंख्या है।

- **वैक्टर जनित रोग नियत्रंण** – जनित रोगो के नियत्रंण हेतु एक्शन प्लान तैयार कर लागू किया गया। मलेरिया रोग– वर्ष दिसम्बर, 2013 से जुलाई, 2015 तक रक्त पट्टिका संचयन 13784871, मलेरिया रोगी–18432, पी.एफ. रोगी– 730, मृत्यु– 6, डेंगू रोग– दिसम्बर 2013 से जुलाई, 2015 तक रोगी 1577, मृत्यु 7

- **अन्धता निवारण**– 395580 मोतियाबिन्द रोगियों के ऑपरेशन किये गये एवं 2106 नेत्र संग्रहित किये गये है। सरकारी स्कूलों में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की दृष्टि जांच कर दृष्टि दोषित 34771 बच्चों को चश्मों का निःशुल्क वितरण किया गया है।

- **राजस्थान में ईबोला वायरस की स्थिति** – जयपुर एयरपोर्ट पर EVD स्क्रिनिंग हेतु स्केनर लगाया गया एवं दिनांक 20.08.2015 तक 1 लाख 61 हजार 610 यात्रियों की जांच की गई।

- **बेटी बचाओं अभियान** – बेटी के जन्म को बढावा देने के लिये राजकीय स्वास्थ्य संस्थानों में बेटी के जन्म पर माननीय मुख्यमंत्री महोदया की तरफ से हस्ताक्षरित बधाई संदेश परिवार को दिया जाता है। अब तक लगभग 1,37,671 परिवारों को बधाई संदेश दिये जा चुके है।

- **'104' टोल फ्री हैल्प लाईन सेवा** का विस्तार करते हुये अब इसके द्वारा **लिंग जांच** संबंधित **शिकायतों** भी **'104' टोल फ्री नम्बर पर** दर्ज की जा सकेगी।

- **पीसीपीएनडीटी एक्ट के मोनिटरिंग सिस्टम** के सुदृढीकरण हेतु IMPACT सॉफटवेयर की क्रियान्विति सुनिचिश्चत की गई है। जिसमें रोजाना लगभग 7000 फॉर्म एफ की सूचना प्राप्त होती है।

- **ई–शुभलक्ष्मी योजना** – लाभान्वितों को द्वितीय एवं तृतीय किश्त की राशि समय पर एवं बिना कठिनाई के उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 से ई–शुभलक्ष्मी योजना का प्रारम्भ किया गया है। ई शुभलक्ष्मी योजना के तहत 304147 महिलाओ का डेटाबेस तैयार कर लिया गया हैा इसके तहत द्वितीय किश्त की राशि लाभान्वितों के बैंक खाते में सीधे ही जमा करवा दी जायेगी। ई–शुभलक्ष्मी योजना के तहत प्रार्थी राज्य के किसी भी राजकीय चिकित्सा संस्थान पर द्वितीय किश्त हेतु आवेदन कर सकता है।

- **मातृ स्वास्थ्य– संस्थागत प्रसव**– जुलाई, 2015, तक राज्य में 2168614 संस्थागत प्रसव करवाये गये तथा जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 2003633 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

- **प्रसव पूर्व जांच**–जून, 2015 तक 3361222 गर्भवती महिलाओं का ए.एन.सी. पंजीकरण किया गया। 1971330 गर्भवती महिलाओं का पहली तिमाही में एएनसी पंजीकरण किया गया। 2423276 गर्भवती महिलाओं का तीन एएनसी चेकअप किया गया। 15180 गंभीर रूप से एनिमिक गर्भवती महिलाओं की लाईन लिस्टिंग एवं फॉलो–अप किया गया है।

- **जननी एक्सप्रेस एम्बूलेंस** – दिसम्बर, 2013 से अक्टूबर, 2014 तक 200 नये जननी एक्सप्रेस एम्बूलेंस वाहन उपलब्ध करवाये गये। वर्तमान में कुल 600 जननी एक्सप्रैस एम्बूलेंस वाहन उपलब्ध है।

- **108 एम्बूलेंस सेवाएं**– दिसम्बर, 2014 से मार्च, 2015 तक राज्य में 100 नये 108–एम्बूलेस वाहन उपलब्ध करवाये गये। वर्तमान में कुल 741, **108– एम्बूलेंस** वाहन उपलब्ध है।

- **बाल स्वास्थ्य** – जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक 30 दिन तक के शिशुओं को निःशुल्क सुविधाओं प्रदान की जाती थी जिसका दायरा बढाकर उक्त योजना का लाभ 1 वर्ष तक के बच्चों के लिए कर दिया गया है।

- **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम** (RBSK)– राज्य के प्रत्येक बच्चो को स्वास्थ्य सुरक्षा व उसके समग्र स्वास्थ्य को बढावा देने के लिए राष्ट्रीय

बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) की शुरूआत की गयी है, जिसमें जन्म से 18 वर्ष तक के सभी बच्चो का स्वास्थ्य परीक्षण सभी सरकारी विद्यालयों व आंगनबाडी केन्द्रों पर समर्पित मोबाईल हैल्थ टीम के द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य बाल विकास के चार विकार (4D–BIRTH defect, Deficiencies Disease, Developmental Delays and Disabilities) को समय पर पहचान कर ईलाज करना है। यदि कोई बच्चा 30 चिन्हित बिमारियों में से किसी से ग्रसित पाया गया तो उसे ईलाज के लिए रैफरल व फॉलोअप निःशुल्क किया जायेगा।

- वर्तमान में अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर–प्रथम व द्वितीय व उदयपुर, जैसलमेर, जालोर, करौली, राजसमंद, प्रतापगढ व सिरोही में दिनांक 14.11.2014 से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 250 मोबाईल हैल्थ टीमें (MHT) 20 जिलों में कार्य कर रही है। माह जून, 2015 तक इन मोबाईल हैल्थ टीमों द्वारा 22,57,112 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका हैा जिसमें से 1,27,290 बच्चें उच्च संस्थानों पर उपचार हेतु भेजे गये है। प्रदेश में कुल 84,191 बच्चों को RBSK कार्यक्रम के अन्तर्गत उपचारित किया जा चुका है।

- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न निजी अस्पतालों के सहयोग से भी RBSK में चिन्हित बच्चों का उपचार किया जा रहा है। इस प्रकार कार्यक्रम के तहत पूरे राज्य में लगभग एक करोड़ बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। **104 टोल फ्री हैल्प लाईन सेवा** के साथ कुपोषण निराकरण हेतु आवश्यक जानकारी भी प्राप्त की जा सकेगी।

- **राज्य के न्युबोर्न केयर युनिट** में दिसम्बर, 2013 से सितम्बर, 2014 तक कुल 51,396 शिशुओं को उपचारित किया गया। **न्यूबोर्न केयर कार्नर** में दिसम्बर से सितम्बर 2014 तक 9,810 शिशुओ को रिससीटेड किया गया।

- राज्य के **कुपोषण उपचार केन्द्रों** पर दिसम्बर, 2013 से सितम्बर, 2014 तक 4,594 शिशुओं का उपचार किया गया है।

- **एच.बी.एन.सी. कार्यक्रम** के अन्तर्गत दिसम्बर, 2013 से सितम्बर, 2014 तक कुल 6 लाख 6 हजार 997 शिशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है।

- **परिवार कल्याण कार्यक्रम** अन्तर्गत राज्य में माह अप्रैल, 2015 से जून, 2015 तक 60832 नसबन्दी ऑपरेशन तथा 113047 आई.यू.डी. निवेशन किये गये।

- **टीकाकरण– पेन्टावेलेन्ट वैक्सीन** – देश के 12 राज्यों में पेटावेलेन्ट वैक्सीन का टीकाकरण वर्ष 2014–15 में प्रारम्भ किया गया है जिनमें राजस्थान राज्य भी शामिल है। राज्य मे यह वैक्सीन टीककरण कार्यक्रम में पहली बार सम्मिलित किया गया है। इस वैक्सीन से 5 प्रकार के रोगों की रोकथाम होगी– डिप्थीरिया, काली खांसी टिटनेस, हेपेटाइटिस–बी तथा हिब से होने वाले निमोनिया एवं मस्तिष्क ज्वर। जिसकी 1 खुराक की कीमत 130/– रूपये है। बाजार में प्राइवेट हॉस्पीटल में यह टीका लगभग 500/–रूपये मे लगता है। प्रदेश में बच्चों को यह टीका निःशुल्क लगाया जायेगा।

- राज्य में इसके 28 लाख टीके प्राप्त हो चुके है, जिन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो के स्तर तक पहुंचाया जा चुका है। जिलों में चिकित्सा अधिकारियो से लेकर आशा कार्यकर्ताओं को इसका प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस टीका से राज्य के लगभग 16.00 लाख बच्चें प्रतिवर्ष लाभान्वित होगें। राज्य में इस वेक्सीन को गुणात्मक रूप से लगाये जाने के लिये जिला अधिकारियों से लेकर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का दो बार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है। प्रभावी सोशियल मोबिलाईजेशान के लिये 3900 अधिक आशाओं को इस वेक्सीन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। राजस्थान के सभी चिकित्सा संस्थानों, स्वास्थ्य केन्द्रों व उपकेन्द्रों पर अक्टूबर, 2014 से जुलाई, 2015 तक **26.50 लाख** के टीके लगाये जा चुके हैं।

- **टिटनेस टीका** (गर्भवती महिला)– माह अप्रैल, 2014 से जुलाई, 2015 तक 23.18 लाख गर्भवती महिलाओं को टिटनेस के टीके लगाये गये।

- **पूर्ण टीकारण** – माह अप्रैल, 2014 से जुलाई, 2015 तक 18.24 लाख बच्चों का टीकाकरण किया गया।

- **मिशन इन्द्रधनुष** –माह अप्रैल 2015 से जुलाई, 2015 को 6.57 लाख बच्चों को टीकाकृत किया गया।

- **मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना** अन्तर्गत **60.84 लाख** रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई। जिन पर 67.53 करोड़ रूपये की राशि व्यय की गई।

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन** के अन्तर्गत 100 शैय्याओं वाले वाले 3 एमसीएच यूनिट, 50 शैय्याओं वाले 13 एमसीएच यूनिट, 50 शैय्याओं वाले 10 जे.एस. वाई वार्ड एवं 20 शैय्याओं वाले 28 जे.एस.वाई वार्ड तथा 21 जिला चिकित्सालय, 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 180 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 192 उप आवासीय भवन बनाये गये। 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सुदृढीकरण करवाया गया। साथ ही 19 उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण किया गया है।

मुख्यमंत्री सहायता कोष

- **मुख्यमंत्री सहायता कोष अन्तर्गत** दिसम्बर, 2013 से 31 अगस्त, 2015 तक की अवधि में चिकित्सा सहायता एवं सामान्य सहायता अन्तर्गत **82.84 करोड़ रूपये स्वीकृत कर 12012 व्यक्तियों को लाभान्वित** किया गया है।

- इसी प्रकार 68.86 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत कर 15020 व्यक्तियों को दुर्घटना सहायता प्रदान की गई है।

- कारगिल पैकेज के तहत 2.04 करोड़ रूपये की राशि की सहायता प्रदान कर 59 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

- राज्य में चिकित्सा क्षेत्र में विस्तार हेतु भारत सरकार से दिनांक 2.7.2014 को मेडिकल कॉलेज अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर, बाडमेर, चूरू के एमओयू हस्ताक्षरित तथा दिनांक 23.7.2014 को मेडिकल कॉलेज भीलवाडा एवं पाली के एमओयू हस्ताक्षर कर दिये है।

- शैक्षणिक वर्ष 2014–15 में 100 सीटों पर एमबीबीएस कोर्स हेतु प्रवेश के साथ आरयूएचएस कॉलेज ऑफ मेडिकल साईसेज में **प्रथम शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ** किया गया।

- राज्य कैंसर संसथान हेतु 2 अक्टूबर, 2014 को शैम्पलीमौड फाउन्डेशन के साथ एम.ओ.यू. सम्पादित।
- जोधपुर एवं बीकानेर मेडिकल कॉलेज में **मल्टी डिस्प्लेनरी रिसर्च यूनिट** का कार्य प्रारम्भ किया गया।

खान एवं पेट्रोलियम विभाग

- राज्य में केनिया की बस्ती (बीकानेर), खाकडी (नागौर) में कुल 25.19 मिलियन टन लिग्नाईट भण्डार खोजे गये।
- हरीमा–पीथासर (नागौर) में सीमेन्ट ग्रेड लाईमस्टोन के 168.43 मिलियन टन और 1.21 मिलियन टन सोमणा, जिला नागौर में भण्डार खोजे गये।
- सम (जैसलमेर) में सीमेन्ट ग्रेड लाईमस्टोन के 306.80 मिलियन टन भण्डार खोजे गये।
- रसुलपुरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ में सीमेन्ट ग्रेड का लाईमस्टोन भण्डार खोजा।
- अंजनी खेडा (चित्तौडगढ), डाड व रामा (डूंगरपुर) तथा उमरङा (उदयपुर) में लाईमस्टोन भण्डार की उपलब्धता सत्यापित(सिद्ध) की गई।
- अत्रिपुरा व अटलपुरा (करौली), मनहरी भाट, बङा कोटेचा (जोधपुर) एवं धुर (जैसलमेर) में सेण्डस्टोन भण्डार की उपलब्धता सत्यापित(सिद्ध) की गई।
- अमरसागर, बङा बाग (जैसलमेर) में येला मार्बल की उपलब्धता सत्यापित(सिद्ध) की गई।
- डोडवाली से खलीलपुर (टोंक) में केल्क सिलिकेट की उपलब्धता सत्यापित(सिद्ध) की गई।
- डोडुआ सिलोआ (सिरोही), बाला, धवंला (जालौर) में ग्रेनाइट की उपलब्धता सत्यापित(सिद्ध) की गई।
- भेड, गोटन (नागौर) में लाईमस्टोन भण्डार 343.11 मिलीयन टन की उपलब्धता सत्यापित(सिद्ध) की गई।

- बरून (नागौर) में डोलोमेटिक लाईमस्टोन की उपलब्धता सत्यापित(सिद्ध) की गई।
- नाथूवास (राजसमंद) में डोलोमाइट की उपलब्धता सत्यापित(सिद्ध) की गई।
- हिम्मतसिंह कागुदा–ओङा बस्सी (बांसवाङा) में सफेद, पिंक मार्बल की उपलब्धता सत्यापित(सिद्ध) की गई।
- झरनियां (झालावाङ) में बेन्टोनाइट की उपलब्धता सत्यापित(सिद्ध) की गई।
- मैसेनरी स्टोन के प्लाट बनाये गये। 34 निग्रा मउ जागीर (बांरा), 20 निग्रा पोल की डेरी (जैसलमेर), 35 असाडा व जसोल (बाडमेर) में उपलब्धता पाई गई। 10 प्लाट लालोग की ढाणी (बाडमेर) एवं 4 प्लाट निग्रा थोब बारमेर और 5 प्लाट निग्रा त्रिसिंहपुरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेरा में बनाये।
- कोटपूतली, जयपुर एवं नाना की कगूतडा, पाली में लाईमस्टोन सीमेंन्ट ग्रेड का क्षेत्र खोजा गया।
- आयरन ओर की ड्रिलिंग 3644.85 मीटर की टाडूपुरा, डेरूली, लीटोटी जिला करौली में की गई।
- लेटेराइट की उपलब्धता डेमोरी, बम्बोरी कल्याण, विजय मगरी, प्रतापगढ।
- सीमेंट ग्रेड का लाईमस्टोन की उपलब्धता नाना से कगुरडा, पाली।
- सेण्डस्टोन के 50 प्लॉट डेलिनियेटेड किये कच्चापुरा तह बसेडी धौलपुर।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग

- RKCL द्वारा 338 अल्पसंख्यक युवाओं को हॉफ फीस में तथा 833 अल्पसंख्यक बालिकाओं को निःशुल्क **कम्प्यूटर दक्षता** का **प्रशिक्षण** दिया गया।
- CIDC द्वारा 1036 अल्पसंख्यक युवाओं को विभिन्न विधाओं में **रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण** दिया गया।
- RUDA द्वारा 270 अल्पसंख्यक महिलाओं को **कौशल वृद्धि / डिजाईन प्रशिक्षण** तथा महिला दस्तकार मिश्रित समूह के तहत प्रशिक्षित किया गया।

- भारत सरकार द्वारा संचालित **महिला नेतृत्व विकास योजना** के तहत चयनित 28 संस्थाओ का प्रशिक्षण प्रगति पर है।
- पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति योजना अर्न्तगत 68710 नवीन छात्रवृतियां स्वीकृत, 7782 छात्रवृतियों का नवीनीकरण कर छात्रों को लाभान्वित किया गया है।
- मेरिट कम मीन्स छात्रवृति योजना अर्न्तगत 4882 नवीन छात्रवृतियां स्वीकृत, 2037 छात्रवृतियों का नवीनीकरण कर छात्रों को लाभान्वित किया गया है।
- **स्टेट मेरिट कम मीन्स छात्रवृति** योजना अन्तर्गत 1033 छात्रों को लाभान्वित किया गया है।
- **अनुप्रति योजना** में 74 छात्रों को स्वीकृति जारी कर लाभान्वित किया गया है।
- अल्पसंख्यक समुदाय के 41 छात्रों को **उच्च शिक्षण संस्थाओं** में **प्रवेश हेतु आर्थिक सहायता** प्रदान की गई।
- दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 से RMFDCC द्वारा 50.09 करोड़ रूपये के ऋण दिये गये।

पंचायती राज विभाग

- **पिछडा क्षेत्र अनुदान कोष** (बी.आर.जी.एफ.) योजनान्तर्गत 399.91 करोड़ रूपये व्यय कर 13867 कार्य पूर्ण करवाये गये।
- **तेरहवें वित्त आयोग** योजनान्तर्गत 2601.46 करोड़ रूपये व्यय कर 149746 कार्य पूर्ण करवाये गये।
- **राज्य वित्त आयोग–चतुर्थ** योजनान्तर्गत 3360.97 करोड़ रूपये व्यय कर 156828 कार्य पूर्ण करवाये गये।
- **पंचायती राज संस्थाओं को निर्बन्ध राशि** योजनान्तर्गत 2106.41 करोड़ रूपये व्यय कर 96361 कार्य पूर्ण करवाये गये।
- **क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन** योजनान्तर्गत 261.71 करोड़ रूपये व्यय किए गए।

- **राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान** योजना (RGPSA) योजनान्तर्गत 15.30 करोड़ व्यय रूपये किए गए।

- **जिला नवाचार कोष** (DIF) योजनान्तर्गत 4.74 करोड़ रूपये व्यय किए गए।

- **विलेज मास्टर प्लान** – 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाले 81 गांवों में 1.00–1.00 करोड़ रूपये की लागत के विकास कार्यो हेतु प्रत्येक गांव को 50.00–50.00 लाख की राशि आंवटित की जा चुकी है। इस योजनान्तर्गत 18.42 करोड़ रूपये व्यय कर 138 कार्य पूर्ण करवाये गये।

- **युरोपियन यूनियन राज्य सहभागिता कार्यक्रम** अन्तर्गत 21.60 करोड़ रूपये व्यय कर 2367 कार्य पूर्ण करवाये गये।

- **निर्मल भारत अभियान** (सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम) अन्तर्गत 428.51 करोड़ रूपये व्यय कर **1209887 शौचालयों का निर्माण** कार्य पूर्ण करवाये गये।

- **आवासीय भूखण्ड आवंटन एवं पट्टे जारी करना**– आवास विहीन गरीब परिवारों को रियायती दर पर 8097 आवासीय भूखण्ड आवंटित। बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क 9799 आवासीय भूखण्ड आवंटित किये गये। पुराने आवासीय भवनों के 32609 पटटे जारी किये गये एवं कब्जों के विनियमितिकरण के 88100 पटटे जारी किये गये।

मिड–डे–मील

- वित्तीय वर्ष 2015–16 में 'मिड डे मील योजना' का क्रियान्वयन राज्य के 73 हजार 199 समस्त राजकीय एवं स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों, अनुदानित विद्यालयों, स्पेशल ट्रेनिंग सेन्टर (ए.आई.सेन्टर, शिक्षा गारन्टी केन्द्रों, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत संचालित संस्थानों) तथा मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक किया जा रहा है। इन विद्यालयो में अध्ययनरत कुल **62.50 लाख विद्यार्थियों** को लाभान्वित किया जा रहा है।

- मिड डे मील योजना के अन्तर्गत लगभग **1,19,071 कुक कम हैल्पर्स** को भोजन पकाने के रूप में सहयोग लिया जा रहा है।

- इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 तक 77 हजार 007 विद्यालयों में **गैस कनेक्शन** सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कुल 33 करोड़ 16 लाख रुपये स्वीकृत किये जा चुके हैं। अब तक कुल **60 हजार 783 विद्यालयों में गैस कनेक्शन उपलब्ध** करवा दिये गये हैं।

भू–संरक्षण विभाग

- भारत सरकार द्वारा **एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम** अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2013 से जुलाई, 2015 तक 1047.12 करोड़ रूपये का उपयोग कर 922285 हैक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया गया है।

संसदीय मामलात विभाग

- चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के निर्वाचित माननीय सदस्यों (प्रत्येक) को राशि 60 हजार रूपये की सीमा तक लैपटॉप/आई–पैड/प्रिन्टर उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 02.09.2014 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
- प्रदेश में मृतक भूतपूर्व विधायकगण के स्पाउस को पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि 2500 रूपये से बढ़ाकर 3500 रूपये प्रति माह की गई।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- 7122 हेबीटेशन एवं 2767 गुणवत्ता प्रभावित हेबीटेशन पेयजल से लाभान्वित किए गए जिनमें 758 अनुसूचित जाति, 599 अनुसूचित जनजाति एवं 577 अल्पसंख्यक बाहूल्य हेबीटेशन पेयजल से लाभान्वित हुए है।
- गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए स्थापित 725 आरओ प्लांट लगाकर चालू किये गये।

भू–जल विभाग

- सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के तहत 33311 कुओं की जॉच की गई तथा 23519 जल नमूनों का संग्रहण किया एवं 17606 जल नमूनों की रासायनिक जॉच की गई।
- भू– भौतिकी साउंडिग के तहत 1086 की प्रगति अर्जित की गई।
- अनुसूचित जनजाति के 138 कुओं को विस्फोटन द्वारा गहरा किया गया।

- पेयजल हेतु 259 नलकूप एवं 361 हैण्डपम्प निर्मित कर चालू किये गये।
- यूरोपियन कमीशन योजना के तहत् 522 पीजोमीटर का निर्माण किया गया।

आयोजना विभाग

- **भामाशाह योजना 2014** – लैंगिक समानता, वित्तीय समावेशन एवं परिवार आधारित लाभों को सम्मिलित करते हुए और विस्तृत कवरेज के साथ दिनांक **15 अगस्त, 2014** से भामाशाह योजना 2014 **लागू** की गई है।
- भामाशाह योजना 2014 के अन्तर्गत परिवार के सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जाकर समग्र डाटाबेस तैयार किया जा रहा है जिसका उपयोग सभी राजकीय विभागों हेतु हो सकेगा।
- सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ, सीधा एवं शीघ्र लाभार्थी तक पहुंचाने में भामाशाह योजना 2014 मील का पत्थर साबित होगी।
- भामाशाह योजना 2014 के अन्तर्गत राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नामांकन शिविर आयोजित किये जा रहे है।
- राज्य के सभी ई मित्र केन्द्रों को भी स्थाई भामाशाह नामांकन केन्द्र घोषित किया गया है।
- नामांकन शिविरों के अन्तर्गत 5.59 करोड़ व्यक्ति आधार के लिए तथा **89.43 लाख परिवार** (297.32 लाख व्यक्ति) भामाशाह के अन्तर्गत **नामांकित** किये जा चुके है।
- कैंपो के दौरान लाभार्थियों के आधार नम्बर, भामाशाह पहचान पत्र एवं बैंक खातो को इंटर–लिंक किया जा रहा है।
- **मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद का गठन** किया गया। परिषद के तहत विभिन्न सेक्टर्स से संबंधित **8 उपसमूह गठित** किये गये है। मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद के तहत कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।
- आधारभूत परियोजनाओं से संबंधित, विशेषकर **सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं** के लिए नीति निर्धारण हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदया की

अध्यक्षता में एक **आधारभूत ढाचा विकास परिषद का गठन** किया गया है। आधारभूत ढाचा विकास परिषद के कार्यों के सुचारू रूप से संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आधारभूत ढाचा विकास के लिए अधिकार प्राप्त समिति का भी गठन किया गया है।

- पीपीपी परियोजनाओं के माध्यम से निजी निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों के सुधार और नवीन स्वरूप के लिए राज्य सरकार को सहायता और सलाह देने हेतु राजस्थान सोसायटीज रजिस्टेशन अधि0 1958 के अन्तर्गत एक पंजीकृत संस्था के रूप में **राजस्थान सहभागिता ब्यूरो का गठन** किया गया है।

- **यंग इन्टर्नस प्रोग्राम 2014** – संबंधित विभागों द्वारा अब तक 40 इन्टर्नस का चयन कर इन्टर्नशिप प्रोग्राम प्रारम्भ कर दिया गया है। उक्त इन्टर्नस में से 5 इन्टर्नस की इन्टर्नशिप पूर्ण हो गयी है।

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

- **पहचान वेबपोर्टल** के माध्यम से राज्य में जन्म मृत्यु का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी, 2014 से प्रारम्भ– राज्य में कुल रजिस्ट्रार इकाईयो जन्म मृत्यु की संख्या 11381 है जिनमे से पहचान वेबपोर्टल पर जन्म मृत्यु का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कार्य 11048 इकाईयो द्वारा किया जा रहा है। अगस्त, 2015 तक जन्म की 2611548 एवं मृत्यु की 528762 घटनाओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है।

- आई.एस.एस.पी. परियोजना के अन्तर्गत 15 **जिला सांख्यिकी कार्यालय भवन** तथा 231 ब्लाक सांख्यिकी कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

- 13 पब्लिकेशन प्रकाशित किये गये हैं।

मूंल्यांकन विभाग

- **दिसम्बर,2013 से जुलाई, 2015 तक किये गये मूल्यांकन अध्ययन**

    - बी.पी.एल. परिवारों को पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना) हेतु सहायता का मूल्यांकन

- शिक्षा विभाग द्वारा संचालित माध्यमिक शिक्षा सह अन्तर्गत Information & Communication Technology Scheme का मूल्यांकन अध्ययन
- सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग द्वारा संचालित सिंचित क्षेत्रीय विकास चम्बल कोटा का मूल्यांकन
- उद्योग विभाग द्वारा संचालित राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना अवधि पूर्ण करने वाले क्लस्टर कोटा डोरिया साड़ी क्लस्टर, कैथून, कोटा का मूल्यांकन अध्ययन
- स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार (SGPY) योजनान्तर्गत लाभान्वित का मूल्यांकन अध्ययन
- उद्योग विभाग द्वारा संचालित पोटरी एवं टेराकोटा क्लस्टर गोगुन्दा, डांगियो की टूस उदयपुर का मूल्यांकन अध्ययन
- उद्योग विभाग द्वारा संचालित हस्तशिल्पियों को ब्याज अनुदान योजना 2005 के प्रभाव का मूल्यांकन।
- उद्योग विभाग द्वारा संचालित पीतल के बर्तन पर नक्काशी क्लस्टर बालाहेडी, दौसा का मूल्यांकन।
- धनवन्तरी एम्बुलेन्स सेवा योजना (108 एम्बुलेन्स सेवा योजना) का मूल्यांकन।
- माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 10वीं में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को साइकिल वितरण योजना का मूल्यांकन।
- मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का मूल्यांकन।
- रोजगार निदेशालय विभाग द्वारा संचालित अक्षत कौशल योजना का मूल्यांकन अध्ययन।
- बारां जिले में सहरिया जनजाति के लिए घोषित विशेष कार्य योजना में समेकित बाल विकास सेवा के प्रावधानों से पड़े प्रभावों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में परियोजनान्तर्गत स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी (IT) की आधारभूत सुविधाओं के प्रभावों एवं मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी बी. पी.एल. आवास योजना का मूल्यांकन किया गया है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- राज्य में सड़कों के विकास पर अगस्त, 2015 तक **7566.12 करोड़ रूपये** का व्यय किया गया है।

- गांवों/ मंजरों, ढ़ाणियों को सड़कों से जोड़ने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5877 कि.मी. सड़को का निर्माण कर 1989 ढ़ाणीयों/मजरों व 7 गांवों, नाबार्ड योजना के तहत 1200 कि.मी. सड़को का निर्माण कर 325 गांवों आरआरएसएमपी योजना के तहत 1898 कि.मी. सड़को का निर्माण कर 799 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है।

- राष्ट्रीय उच्च मार्गो का चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण हेतु 162 कि.मी. लम्बाई में चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण किया गया एवं 6 पीपीपी परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

- राज्य मार्गो और मुख्य उच्च जिला सड़कों का चौड़ाईकरण, सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण –

  - **केन्द्रीय सड़क निधि** के अनतर्गत **744 कि.मी. लम्बाई** में सुदृढीकरण व नवीनीकरण का कार्य पूर्ण।

  - **अन्तर्राज्यीय व आर्थिक महत्व की सड़कों** के अन्तर्गत **67 कि.मी. लम्बाई में कार्य पूर्ण**।

  - **तेहरवें वित्त आयोग** के तहत **166 कि.मी. लम्बाई** में नवीनीकरण का **कार्य पूर्ण**।

  - राज्य योजना अन्तर्गत **912 कि.मी. लम्बाई** में सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण **का कार्य पूर्ण**।

  - **नाबार्ड योजना** के तहत **1337 कि.मी. लम्बाई** में जिला सड़कों के सुदृ ढ़ीकरण व नवीनीकरण का **कार्य पूर्ण**।

- 689 कि.मी. लम्बाई में चौड़ईकरण, सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण का कार्य राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम द्वारा पूर्ण।

- 184 कि.मी. लम्बाई में चौड़रईकरण, सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण का कार्य रिडकोर द्वारा पूर्ण।
- 1313.23 करोड़ रूपये लागत की 6 परियोजनाओं पर राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम द्वारा कार्य प्रगति पर व 4 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण।
- 611.26 करोड़ रूपये लागत की 2 परियोजनाओं पर रिडकोर द्वारा कार्य प्रगति पर।
- 416 करोड़ रूपये की 2 पीपीपी परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर।
- राज्य में **20,000 किलोमीटर लम्बाई** के मार्गो को **पीपीपी आधार** पर विकसित किया जाना है। प्रथम चरण में **8910 कि.मी. लम्बाई** की 132 सड़को का चयन कर लिया गया है। सभी सड़कों की **साध्यता अध्ययन रिपार्ट** तैयार किये जाने के लिए **कार्यादेश जारी** कर दिये गये है।
- **मुख्य जिला सड़कों का राज्य राज मार्गो में उन्नयन– 1094 कि.मी. लम्बाई में** मुख्य जिला सड़कों/अन्य जिला सड़कों व ग्रामीण सड़कों का राज्य राज मार्गो में **क्रमोन्नयन किया** गया है।
- **मिंसिंग लिंक सड़कों का निर्माण** के तहत 418 कि.मी. लम्बाई में कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- **ग्रामीण सड़कों का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण– 42 कि.मी. लम्बाई** में **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** के तहत उन्नयन का कार्य पूर्ण। **तेरहवें वित्त आयोग** के तहत **3189 कि.मी. लम्बाई** में नवीनीकरण का कार्य पूर्ण। **नाबार्ड योजना** के तहत **3990 कि.मी. लम्बाई** में **कार्य पूर्ण** किया गया।
- **शहरी सड़कों का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण अन्तर्गत 47 कि.मी. लम्बाई में** कार्य पूर्ण किया गया।
- **भरतपुर–मथुरा मार्ग** व **मकराना पर आर.ओ.बी. का कार्य पूर्ण** किया जा चुका है।

राजस्व विभाग

- वर्ष 2014 में **50 नवीन राजस्व ग्राम** तथा वर्ष 2015 में 5 नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये गये।
- राज्य में **सौर ऊर्जा उपक्रमों को बढावा** देने के लिये **राजस्थान भू–**राजस्व **अधिनियम, 1956 में संशोधन** किया गया।
- माह अप्रेल, 2015 में कुल 16 प्रकरणों में 497.87 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया।

राजस्व (कोलोनाइजेशन) विभाग

- 5949.42 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया। 348.75 करोड़ रूपये की राजस्व वसूली की गई है।
- **राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2015 –** राजस्थान प्रदेश के किसानों एवं ग्रामीणों के अपने स्वामित्व, खातेदारी अधिकार तथा उत्तराधिकारी के झगड़ों और विवादों के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में वर्षों से लम्बित चल रहे मुकदमों और उनसे लगातार हो रही श्रम, समय और धन की क्षति की असीम पीड़ा को दृष्टिसात करते हुए ''राजस्व लोक अदालतः न्याय आपके द्वारा'' अभियान के संचालन तथा दिनांक 18 मई, 2015 से दिनांक 30 जुलाई, 2015 तक प्रदेश की ग्राम पंचायत मुख्यालायों पर प्रदेशभर में लगभग 16,000 शिविरों के आयोजन किये जिनमें विभिन्न प्रकार के कुल 21,43,054 प्रकरणों का रिकॉर्ड निस्तारण किया गया।

सैनिक कल्याण विभाग

- राज्य की **1161 वीरांगनाओं** को **विशेष पहचान कार्ड जारी** किये गए।
- राज्य के समस्त पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं के डाटा को कम्प्यूटरीकत करवाया।
- नियोजन हेतु 11685 पूर्व सैनिक जो कि जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में पंजीकृत हैं, का डेटा तैयार किया गया है और इसे प्लेसमेंट नोड, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड एवं पुनर्वास महानिदेशालय के साथ जोडा गया।

- अभी तक के 48 नए शहीद सैनिकों के नाम अमर जवान ज्योति पर लिखवाये गए।
- सेना की सहायता से **10 सैनिक विश्राम गृहों को सुसज्जित** किया।
- **642 भूतपूर्व सैनिकों** का विभिन्न **बैंकों में नियोजन** करवाया गया।
- जयपुर आर्मी एरिया में पुनर्वास महानिदेशालय एवं सीआईआई के सहयोग से **पूर्व सैनिकों के पुनर्वास हेतु रोजगार मेला** दिनांक 11 एवं 12 सितम्बर, 2014 को आयोजित किया गया जिसमें प्रदेश के 450 पूर्व सैनिकों एवं 15 कम्पनियों के एच आर हैड शामिल हुए जिसमें पूर्व सैनिकों को उनकी योग्यता अनुसार रोजगार के अवसर प्रदान किए गए।
- **सैनिक विश्राम गृह, जयपुर एवं चिडावा** में अतिरिक्त **विस्तार** करवाया गया।
- **झुंझुनू एवं बहरोड** में **नए सैनिक विश्राम गृहों** का **निर्माण कार्य** शुरू करवाया गया।
- राज्य के **सभी सैनिक विश्राम गृहों** में आवश्यक **सुविधाओं के लिए सुधार** किए गए हैं।

ग्रामीण विकास विभाग

- **ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं** के अन्तर्गत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से कुल 2360.42 करोड़ रूपये प्राप्त कर **2733.72 करोड़ रूपये व्यय** किये गये हैं।

इंदिरा आवास योजना

- कुल 1159.56 करोड़ रूपये व्यय किये गये एवं गरीब परिवारों के 1,76,587 नए आवास बनाए गये हैं।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों हेतु क्रमशः 211.30 करोड़ रूपये 659.97 करोड़ रूपये एवं 30.09 करोड़ रूपये व्यय तथा 35116 अनुसूचित जाति, 93808 अनुसूचित जनजाति एवं 5246 अल्पसंख्यकों के परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

- कुल निर्मित आवासों में से 138090 आवास महिलाओं के नाम स्वीकृत किये गये।
- 705 विकलांग परिवारों को लाभान्वित किया गया।
- अन्य आवासीय योजना के 472523 अपूर्ण आवासों को पूर्ण तथा 1925.88 करोड़ रूपये व्यय किये गये हैं।
- **सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम** के अन्तर्गत 277.48 करोड़ रूपये व्यय तथा 1867 कार्य पूर्ण कराये गये।
- **सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम** के अन्तर्गत 213.39 करोड़ रूपये व्यय तथा 6585 कार्य पूर्ण कराये गये।
- **विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम** के अन्तर्गत 610.04 करोड़ रूपये व्यय तथा 21693 कार्य पूर्ण कराये गये।
- **मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम** के अन्तर्गत 67.61 करोड़ रूपये के व्यय तथा 1170 कार्य पूर्ण कराये गये।
- **मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम** के अन्तर्गत 115.59 करोड़ रूपये के व्यय तथा 1585 कार्य पूर्ण कराये गये।
- **डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम** के अन्तर्गत 129.47 करोड़ रूपये के व्यय तथा 1339 कार्य पूर्ण कराये गये।
- **स्व–विवेक जिला विकास योजनान्तर्गत** 8.32 करोड़ रूपये के व्यय तथा 197 कार्य पूर्ण कराये गये।
- **गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास** योजनान्तर्गत 152.27 करोड़ रूपये के व्यय तथा 2079 कार्य पूर्ण कराये गये।

ग्रामीण विकास विभाग (नरेगा)

- सृजित मानव दिवस – 3323.70 लाख
- योजनान्तर्गत कुल व्यय राशि रूपये – 5114.66 करोड़

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

- राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद् (NCSM) संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **उदय**पुर **में उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र की स्थापना** की **सहमति** प्राप्त की गई।
- **साइंस पार्क झालरापाटन** (झालावाड) में 15 किलोवाट **सौर उर्जा संयंत्र** की स्थापना।
- **विज्ञान केंद्र कोटा** में **10 किलोवाट सौर उर्जा सयंत्र** की स्थापना।
- केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसन्धान संसथान भावनगर (गुजरात) के तकनिकी मार्गदर्शन एवं सहयोग से समुदाय द्वारा प्रबंधित **रिवर्स ओसमोसिस संयंत्रो की स्थापना।**

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग **उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना** अर्न्तगत 83345.62 लाख रूपये व्यय कर 1153322 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।
- **सहयोग योजना** अर्न्तगत बीपीएल परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु 2567.48 लाख रूपये व्यय कर **23470 महिलाओं को लाभान्वित** किया गया है।
- **गाडिया लोहारों के परिवारों** को **भवन निर्माण** के लिए **अनुदान** सहायता योजना अर्न्तगत 303.28 लाख रूपये व्यय कर **1492 परिवारों को लाभान्वित** किया गया है।
- **अनुप्रति योजना** अंर्तगत 309.85 लाख रूपये व्यय कर **1205 विद्यार्थियों को लाभान्वित** किया गया है।
- **पालनहार योजना** अंर्तगत 22506 लाख रूपये व्यय कर **149737 को लाभान्वित** किया गया है।
- **अंर्तजातिय विवाह योजना** अर्न्तगत 2575.75 लाख रूपये व्यय कर **652 दंपतियों** को **लाभान्वित** किया गया है।

- **विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना** अंर्तगत 9323.43 लाख रूपये व्यय कर 113720 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

- **विशेष पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना** अंर्तगत 1436.82 लाख रूपये व्यय कर 184023 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

- **देवनारायण गुरूकुल योजना** के अंर्तगत 1289.34 लाख रूपये व्यय कर 2194 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन योजना के अन्तर्गत 1271.65 लाख रूपये व्यय कर 21730 पेंशनरों को लाभान्वित किया गया है।

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना के अन्तर्गत 39312.17 लाख रूपये व्यय कर 756065 पेंशनरों को लाभान्वित किया गया है।

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा योजना के अन्तर्गत 6731.61 लाख रूपये व्यय कर 116620 पेंशनरों को लाभान्वित किया गया है।

- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत 459159.38 लाख रूपये व्यय कर 3928182 पेंशनरों को लाभान्वित किया गया है।

- मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत 67991.15 लाख रूपये व्यय कर 652365 पेंशनरों को लाभान्वित किया गया है।

- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत 33701.30 लाख रूपये व्यय कर 342977 पेंशनरों को लाभान्वित किया गया है।

विशेष योग्यजन निदेशालय

- **विशेष योग्यजन छात्रवृति योजना** – 232.73 लाख रुपये व्यय कर 6342 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया जा चुका है।

- **मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना** – 1115.59 लाख रुपये व्यय कर 2485 विशेष योग्यजनों को ऋण राशि उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया जा चुका है।

- **सुखद दाम्पत्य जीवन योजना** – 219.05 लाख रुपये व्यय कर 860 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया जा चुका है।

- **संयुक्त सहायता अनुदान योजना** – 191.54 लाख रुपये व्यय कर 5928 विशेष योग्यजनों को स्वरोजगार हेतु एवं शारीरिक कमी को पूर्ण करने हेतु कृत्रिम अंग/उपकरण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया जा चुका है।

- **विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना** – 3.95 लाख रुपये व्यय कर 11 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया जा चुका है।

युवा मामले एवं खेल विभाग

- **महाराणा प्रताप की अवॉर्ड** की राशि **1.00 लाख रूपये** किये जाने की स्वीकृति दिनांक 9.02.2014 को की गई है।

- 20वें कॉमनवैल्थ गेम्स, ग्लांसगो में राजस्थान के खिलाडियों ने 4 स्वर्ण, 2 रजत व 3 कास्य पदक प्राप्त किये।

- दिनांक 26.11.2014 को देवेन्द्र झांझडिया को 17वें पैरालंपिक एशियाई खेल, इन्चिओन (दक्षिण कोरिया) में रजत पदक प्राप्त करने पर नई दिल्ली में माननीय खेल मंत्री श्री सर्वानन्द सोनवाल द्वारा 10.00 लाख रु. का पुरस्कार दिया गया।

- राजस्थान के खिलाडियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 11 स्वर्ण, 7 रजत व 10 कांस्य पदक तथा राष्ट्रीय स्तर पर 80 स्वर्ण, 42 रजत एवं 48 कांस्य पदक प्राप्त किये।

- राजस्थान क्रीडा परिषद द्वारा संचालित अकादमियों ने वर्ष 2014–15 में आयोजित राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण, 1 रजत व 1 कांस्य पदक प्राप्त किये।

- **पडकर योजना** के अन्तर्गत राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा 5 नवम्बर से 24 दिसम्बर, 2014 तक जयपुर के 23 विद्यालयों **10,000 बालिकाओं को सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिंग** प्रदान की गई।

- राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा संचालित खेल अकादमियों हेतु चयन स्पर्धा का आयोजन 7 मई से 15 मई, 2015 तक सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर पर किया गया।

- राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा केन्द्रिय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन दिनांक 19 मई से 8 जून 2015 तक आबू पर्वत पर एवं 21 मई से 10 जून 2015 तक जयपुर एवं जनजातिय केन्द्रिय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन दिनांक 16 मई से 05 जून 2015 तक उदयपुर में किया गया।

- 28 वीं **एशियन टीटी चेम्पियनशिप का आयोजन** दिनांक 13 से 15 मई 2015 तक सवाई मानसिंह स्टेडियम के इन्डोर स्टेडियम में किया गया।

- खिलाडियों का **दैनिक भत्ता राज्य स्तर** पर 200 रूपये से बढाकर **300 रूपये** व **राष्ट्रीय स्तर पर** 300 रूपये से बढाकर **500 रूपये** किया गया है।

- **1151 खिलाडियों** को **अनुदान** राशि लगभग **6 करोड़ 75 लाख रूपये जारी** की जा चुकी है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

- अनुसूचित क्षेत्र की 37 मत्स्य उत्पादक समितियों को राजससंघ द्वारा नाव जाल हेतु 3554 सदस्यों को रूपये 109.13 लाख के ऋण मुक्ति प्रमाण–पत्र जारी किये जा चुके है।

- आदिवासी मछुआरों की मत्स्य सहकारी समितियों के लगभग 4000 मछुआरों एवं जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अन्य छोटे जलाशयों के 1000 मछुआरों को 45000 किलो नेट, **960 नावें** एवं **762 साईकिलें निःशुल्क उपलब्ध** करायी गयी है।

- अनुसूचित क्षेत्र के 12 आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं को RS-CEL प्रशिक्षण हेतु RKCL के साथ MOU किया गया। वर्तमान में प्रतापगढ, बांसवाडा,डूंगरपुर एवं उदयपुर जिलें में प्रशिक्षण कार्य पूर्ण हो गया है।

- अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र में संचालित 216 छात्रावासों एवं 12 आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों में **10925 सोलर घरेलू लाईट एवं 878 सोलर स्टीट लाईट स्थापित** की गई।

- प्रतापगढ में तीरन्दाजी व शूटिंग रेंज हेतु प्रथम चरण में आवंटित भूमि पर 50 छात्रों के खेल छात्रावास का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

- अनुसूचित क्षेत्र में संचालित किये जा रहे 159 छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों में से 154 में स्वीकृत मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

पर्यटन विभाग

- केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत वर्ष 2013–14 में 5174.67 लाख रूपये की 10 नवीन परियोजनाएं दिनांक 04.03.2014 को स्वीकृत की गई है। प्रथम किस्त की राशि में से 1034.85 लाख रूपये प्राप्त हुई है, जिसे क्रियान्वयन हेतु कार्यकारी एजेन्सियों को उपलब्ध करा दिया गया है।

- राज्य योजनान्तर्गत विभिन्न **पर्यटक स्थलों के विकास** हेतु 31 परियोजनाओं पर विकास कार्य करवाये जा रहे है, जिनकी कुल लागत राशि रू. 24.07 करोड़ है।

- नवीन **पर्यटन** इकाई**यों** के **173 प्रोजेक्ट अनुमोदित** किये गये है। इनमें कुल निवेश राशि 80386.17 लाख रूपये है।

- पर्यटन विभाग की नई वेब साईट बनवाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसे शीघ्र ही लोंच किया जाएगा।

- पर्यटकों की सुविधाओं हेतु **40 पर्यटक स्थलों/स्मारकों एवं मेले–त्यौहार के वर्चुअल ट्यूर** बनवाये गये है, इन सभी को वेब साईट पर उपलब्ध करवा दिया गया है ।

- पुष्कर, रणकपुर एवं मारवाड समारोह–2014 का **विभागीय फेसबुक पेज** rajasthanfairandfestivals **पर सीधा प्रसारण** कराया गया।

- पर्यटन विभाग द्वारा 72 मेले–त्यौहार का आयोजन किया गया।

- Palace on Wheels में 3332 एवं Rajasthan Royals on Wheels में 1074 पर्यटक आये।

- चूरू एवं जयपुर में विश्व पर्यटन दिवस (27 सितम्बर, 2014) के अवसर पर **हैरिटेज वॉक प्रारम्भ** कर दी गयी है ।

- दिनांक 20 से 22 दिसम्बर, 2014 तक **उदयपुर में बर्ड फेयर** का आयोजन वन विभाग के सहयोग से किया गया।

परिवहन विभाग

- भारवाहनों में ओवरलोडिंग पर प्रभावी अंकुश लगाया गया है। 325251 चालान बनाये, 303.13 करोड़ रूपये की प्रशमन राशि वसूल की गई।
- परिवहन विभाग के उडनदस्तों द्वारा मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन करने पर माह दिसम्बर 2013 से अगस्त, 2015 तक वाहनो के 1078656 चालान बनाये गये, 92547 वाहन सीज किये गये एवं इनसे 465.19 करोड़ रूपये की प्रशमन राशि वसूल की गई।
- अवैध रूप से संचालित यात्री वाहनों के माह अगस्त, 2015 तक 613105 चालान बनाये गये जिनसे 252.15 करोड़ रूपये की प्रशमन राशि वसूल की गई।
- राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात नियमों की पालना कराने हेतु **15 इन्टरसेप्टर क्रय** कर हाईवे पेट्रोलिंग उडनदस्ते तैनात किये गये हैं।
- राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर सडक दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को तुरन्त चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने हेतु परिवहन विभाग द्वारा स्वयंसेवी संस्था लाईफ फाउण्डेशन के सहयोग से 7 एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है।
- वाहनों के **रजिस्ट्रेशन व नये चालक लाईसेंस, नवीनीकृत व डूप्लेकेट लाईसेंस स्मार्ट कार्ड पर** जारी करना प्रारम्भ कर दिया गया है।
- परिवहन विभाग ने जन सुविधा, पारदर्शी, संवेदनशील प्रशासन हेतु सभी कार्यालयों में **MAY I HELP YOU** काउण्टर खोले है, इन काउण्टरों पर कार्यालय में किये जाने वाले कार्यों से संबंधित सभी प्रकार के निर्धारित फार्म उपलब्ध कराये जाते है तथा फार्मों को भरने में सहयोग प्रदान किया जाता है। विभाग ने सभी कार्यालयों में सिटीजन चार्टर लगाये है एवं शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किए गए है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

- 100 नई ब्लू लाईन बसें निगम बेडे में शामिल की गई है।

- बस स्टैण्डों/कार्यालयों में जीर्णोद्वार, विकास कार्य यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं एवं स्वच्छता अभियान को गति प्रदान करने हेतु निगम के सभी आगारों व केन्द्रीय कार्यशाला में रूपये 1,28,52,651/–की राशि व्यय की गई।

- **निगम कर्मी नवीन प्रोत्साहन योजना** – निगम कर्मियों की सहभागिता से निगम द्वारा संचालित बस सेवाओं के राजस्व में वृद्धि एवं खर्चों में कमी करने के उद्देश्य से निगम में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों (विशेष रूप से चालक, परिचालक) को प्रोत्साहित कर निगम कार्य के प्रति सर्मपण भाव से कार्य करने के लिए यह योजना प्रारम्भ, जिसके अन्तर्गत लक्ष्य से अधिक आय लाने एवं लक्ष्य से अधिक डीजल औसत लाने पर प्रोत्साहन के रूप में नकद प्रोत्साहन के रूप में वितरित किया जाता है।

- **यात्री प्रोत्साहन योजना**– निगम बसों में अधिकाधिक यात्रा करने हेतु विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएँ लागू की गई हैं यथा समूह यात्रा, वापसी टिकिट में रियायत, मासिक पास में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है।

- **नई पार्सल सेवा**– निगम की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से वातानुकूलित, लग्जरी एवं सुपर लग्जरी बस सेवाओं में बिना यात्री लगेज परिवहन करना प्रारम्भ की गई है।

- **नई समय–सारणी** – यात्रियों को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने की दृ ष्टि से नई शीतकालीन समय–सारणी को 1 अक्टूबर, 2014 से लागू किया गया है।

- **ऑनलाईन आरक्षण व्यवस्था एवं Electronic Ticket Issuing Machine ई.टी. आई.एम. का ऑनलाईन आरक्षण व्यवस्था के साथ एकीकरण** – निगम द्वारा अपने सभी आगारों के बस स्टेण्डों एवं उनके अधीन बुकिंग खिडकियों को ऑनलाईन आरक्षण व्यवस्था से जोड दिया गया है। साथ ही आगारों में प्रयोग में ली जा रही ई.टी.आई.एम. को भी ऑनलाईन आरक्षण व्यवस्था के साथ एकीकृत कर दिया गया है।

- **व्हीकल ट्रैकिंग एवं पैसेंजर इन्फॉरमेशन सिस्टम** – निगम के 23 आगारों की 2382 बसों में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस एवं फ्यूल मॉनीटरिंग सिस्टम लगाये जाने का अनुबन्ध फर्म से कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

- **आर.एफ.आई.डी. स्मार्ट कार्ड** – निगम द्वारा विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों को निःशुल्क/रियायती यात्रा हेतु आर.एफ.आई.डी. तकनीकी पर आधारित 72 स्थानों से आर.एफ.आई.डी. स्मार्ट कार्ड जारी किये जा रहे है। 36 श्रेणीयों के अन्तर्गत दी जा रही किराया राशि में रियायत को आर.एफ.आई.डी. स्मार्ट कार्ड के जरिये सुविधा युक्त एवं अहस्तान्तरणीय बनाया गया है।

- **मोबाईल से ऑनलाईन आरक्षण की सुविधा** – निगम राजस्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से यात्रियों को मोबाईल से ऑनलाईन आरक्षण की सुविधा प्रदान कर दी गई है।

- **मोबाईल** के माध्यम से **शिकायत दर्ज** कराने की **सुविधा** प्रारम्भ कर दी गई है।

- मुख्यालय के अतिरिक्त डीलक्स आगार, वैशाली नगर आगार एवं जयपुर आगार में **डेटा सेंटर की स्थापना।**

- अन्तर्राज्यीय सेवाओं की संख्या में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य परिवहन निगम से करार किया गया है।

- निगम बेडे में नई वाहनें शामिल किये जाने के लिये 400 नयी बसों को अनुबंध पर लिये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है।

- **ग्रामीण क्षेत्रों की परिवहन सुविधा में सुधार** – ग्रामीण क्षेत्रों में अनुबंध के अनुरूप परिवहन विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापत्रों के अनुसार ग्रामीण परिवहन सेवाऐं बढायी गयी है। जिससे 74 कलस्टरों पर 447 वाहनें संचालित की गयी है जिससे 1508 ग्राम पंचायतें पीपीपी मोड की ग्रामीण सेवा द्वारा लाभान्वित हुई है। इसके साथ ही 300 मिडी बसों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को राष्ट्रीयकृत मार्गो से जोडकर कर संचालन शुरू किया गया है। जिससे ग्राम पंचायतों को जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय से सीधे रूप से परिवहन सेवा से जोडा जा रहा है।

- रक्षाबन्धन पर्व के अवसर पर दिनांक 10.8.14 (केवल एक दिन) को निगम द्वारा संचालित सभी श्रेणी की वाहनों में महिला/बालिकाओं को राजस्थान राज्य की सीमा में निःशुल्क यात्रा करने की अनुमति प्रदान की गई।

- **महिला दिवस पर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा** – माह मार्च, 2015 में महिला दिवस के अवसर पर सभी महिला यात्रियों को राजस्थान सीमा क्षेत्र में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी गयी, जिसके अन्तर्गत 1245218 महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करायी गयी।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

- भिवाडी की महत्वपूर्ण सडक पुराना तिजारा रोड मंशा चोंक से टोल नाका तक एवं भिवाडी का महत्वपूर्ण चौराहा **मंशा चौक** का **कार्य** दिसम्बर, 2013 के बाद **पूर्ण** किया गया।

- नगर नियोजन विभाग द्वारा 13 दिसम्बर, 2013 से अब तक 12 शहरो/कस्बों के मास्टर प्लान अनुमोदित किये गये तथा अजमेर एवं करौली के नया मास्टर प्लान को अन्तिम रूप देकर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाया गया है।

- **नगर विकास न्यास, अलवर** द्वारा 13 दिसम्बर, 2013 से आदिनांक तक **784 आवासों का निर्माण** करवाया गया जिस पर 22.19 करोड़ का व्यय किया गया।

- नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा 13 दिसम्बर, 2013 से संदर्भित माह तक अजय आहुजा नगर स्पेशल पार्ट 1 में 92 आवासों का प्लींट लेवल तक निमार्ण कार्य पूर्ण किया गया।

- **राजस्थान आवासन मण्डल** द्वारा दिसम्बर, 2013 से जुलाई, 2015 तक 12523 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया तथा **14586 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण** किया जा चुका हैं, अब तक 12651 आवासों का आवंटन किया जा चुका हैं, 8230 आवास आवंटियों को हस्तान्तरित किये गये हैं।

- **जोधपुर विकास प्राधिकरण** द्वारा जुलाई, 2015 तक धारा 90 ए/90 बी के तहत 12,992 पट्टे जारी किये जिनसे **25960.76 लाख की राजस्व** की **प्राप्ति** हुई। प्राधिकरण ने **विकास कार्यो** पर 16654.85 लाख रूपये व्यय किये।

- **184 स्थानीय निकायों के मास्टर प्लान** राज्य सरकार से **अनुमोदित किये जा चुके हैं**।

- **नगर विकास न्यास, भीलवाडा द्वारा** शहर को ग्रीन सिटी बनाने हेतु 2000 वृक्ष लगाये गये एवं मुख्य सडको पर 15 किमी लम्बाई में ग्रीन बेल्ट विकसित कि जा रही है एवं पैराफेरी क्षेत्र के गावों में जन सुविधा हेतु सामुदायिक भवन निर्मित किये गये एवं **400 सोलर लाइटे लगाई** गई।

- गठन के उपरान्त नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर कार्यालय का संचालन प्रारम्भ करवा दिया गया है।

- दिनांक 29.05.2014 को ADB के साथ मैट्रो फेज B के लिए 969 करोड़ रूपये के ऋण हेतु अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए गए।

- न्यास चितौडगढ़ द्वारा 216 नियमन पट्टे, 85 लीज मुक्ति प्रमाण पत्र तथा 21 मानचित्र स्वीकृत किये गये एवं एकल खिडकी की स्थापना की गई।

जयपुर विकास प्राधिकरण

- **नई आवासीय योजनाएं** – जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा फरवरी 2014 में 4 नई आवासीय योजनाओं (7869 भूखण्ड) एवं जुलाई, 2014 में 11 नई आवासीय योजनाओं (6621 भूखण्ड) का आवंटन किया गया। निजी खातेदारी की 83 योजनाओं में EWS तथा LIG श्रेणी के 3535 भूखण्डो के लिये आवेदन पत्र प्राप्त कर दिनांक 17.11.2014 को भूखण्डों का आवंटन किया गया। 1 फरवरी, 2015 से 6 नयी आवासीय योजनाओ (5885 भूखण्ड) के लिये आवेदन पत्र ऑनलाईन आमंत्रित कर दिनांक 16.03.2015 को भूखण्डों का आवंटन किया गया है।

- **ई–ऑक्शन** का कार्य दिनांक 29.07.2014 से आरंभ किया गया है। दिनांक 04.09.2015 तक इस व्यवस्था के माध्यम से 430.95 करोड़ रू. की 41 सम्पत्तियों का विक्रय किया जा चुका है।

- जयपुर विकास प्राधिकरण कैम्पस को **वाई–फाई** किया गया है।

- जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सैन्ट्रल **पार्क** एवं **जवाहर सर्किल में वाई–फाई** दिनांक 20.05.2015 से प्रारम्भ किया गया है। **आमेर फोर्ट, जन्तर–मन्तर, रेल्वे–स्टेशन लॉबी प्रथम, मेट्रो स्टेशन जयपुर जंक्शन, सिन्धी केम्प मैट्रो स्टेशन एवं सिन्धी केम्प को वाई–फाई किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ** की गई है।

- जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित 13 **सामुदायिक केन्द्रों की** दिनांक 21.10.2014 से **ऑनलाईन बुकिंग प्रारंभ** की गयी है।

- **पृथ्वीराज नगर** के आयोजित शिविरों में **182** योजनाओं में **12459 पट्टे जारी** किये जा चुके है।

- जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित **710 राजस्व गांवों के मैप स्कैनिंग** करवाकर जयपुर विकास प्राधिकरण की लोकल इंट्रानेट पर उपलब्ध कराये गये है। **10 बीघा से अधिक राजकीय भूमि के चक** को मय खसरा नम्बर गूगल अर्थ पर डाल दिया गया है।

- तीन **रोड एम्बूलेस** दिनांक 14.08.2014 से पेच रिपेयर के कार्य में लगायी जा चुकी है। दिनांक 25.08.2015 तक लगभग 22500 वर्गमीटर क्षेत्र में सडक मरम्मत का कार्य करवाया जा चुका है।

- ग्राम रलावता में **सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट** लगाया गया।

- **दुर्गापुरा पर ऐलिवेटेड रोड** के कार्य को पुनः प्रारम्भ करा दिया गया है तथा अक्टूबर, 2015 तक पूरा होने की सम्भावना है।

- अजमेर रोड पर ऐलीवेटेड रोड तथा अजमेर–सीकर रोड पर स्थित दादी का फाटक पर निर्मित ROB का लोकार्पण किया जा चुका है।

- खिरणी फाटक पर आर.ओ.बी: चार लेन आर.ओ.बी. जयपुर–फुलेरा रेलमार्ग (एल. सी. 228) पर बनाया गया है, दिनांक 21.03.2015 को यातायात के लिए खोल दिया गया है। यह अजमेर रोड़ से आने वाले ट्रैफिक को दिल्ली बाईपास से जोडेगा।

- रिद्धी–सिद्धी उच्च पुल: रिद्धी–सिद्धी व मानसरोवर के मध्य सुगम यातायात के लिए वर्तमान में 2 लेन की पुलिया से **6 लेन की उच्च स्तर पुलिया का निर्माण प्रारम्भ** कर दिया गया है। इस परियोजना पर लगभग 35 करोड़ रूपये व्यय होंगे।

- **सेक्टर रोड निर्माण** के लिए **वर्ष 2013–14 में 35.27 करोड़ रूपये** एवं **वर्ष 2014–15 में 577.34 करोड़ रूपये स्वीकृत।**

- दिसम्बर, 2013 से जुलाई, 2015 तक जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 1921.46 करोड़ रूपये विभिन्न विकास कार्यो के लिये पूंजीगत मद में व्यय किये गये है तथा कुल राजस्व प्राप्तियाँ 3313.55 करोड़ रूपये हुई है।

राजस्थान आवासन मण्डल

- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा माह दिसम्बर, 2013 से जुलाई, 2015 तक **14586 आवासों का निर्माण** कार्य पूर्ण किया गया। 12651 आवासों का आवंटन किया गया एवं 8230 आवास आवंटियों को हस्तांतरित किये गये है।

जल संसाधन विभाग

- जल संसाधन विभाग में विभिन्न सिंचाई परियेाजनाओं (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सहित) पर माह दिसम्बर, 2013 से माह अगस्त, 2015 तक 2085.58 करोड़ रूपये व्यय किये।

- **नर्मदा नहर परियोजना** पर **फव्वारा सिंचाई पद्धति** को **अनिवार्य** रूप से लागू किया गया है। परियोजना के अन्तर्गत राजस्थान सीमा में वितरिकाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना पर दिसम्बर, 2013 से माह

अगस्त, 2015 तक **7050 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा सृजित** की गई व 261.69 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं।

- **गंग नहर आधुनिकीकरण परियोजना** का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना पर दिसम्बर, 2013 से माह अगस्त, 2015 तक 100.84 करोड़ रूपये व्यय किये गये एवं **526 हैक्टेयर सिंचाई क्षेत्र सृजित** किया गया है। परियोजना के पूर्ण होने पर 96510 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा सृजित हो सकेगी।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना

- परियोजना पर दिसम्बर, 2013 से अगस्त, 2015 तक की अवधि में नहर निर्माण, फव्वारा सिंचाई पायलट प्रोजेक्ट सहित अन्य विभिन्न कार्यो पर 351.69 करोड़ रूपये व्यय किये गये।

- उक्त अवधि में **9.76 कि.मी.** लम्बी **डिच नहरों का निर्माण** किया गया तथा **फव्वारा सिंचाई के पायलट प्रोजेक्ट** के अन्तर्गत लगभग **854 हैक्टैयर क्षेत्र** में सभी कार्य पूर्ण कर जल उपयोक्ता समितियों द्वारा विद्युत कनेक्शन लेकर **सिंचाई आरम्भ** की गई।

- 8089 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र खोला गया।

- नहर निर्माण एवं रिपेयर के लिए जैसलमेर सम्भाग में 15 लाख पी.सी.सी. ब्लाक का निर्माण करवाया गया।

- रबी 2014–15 हेतु डिस्ट्रीब्यूटरी माईनर मे **सिल्ट सफाई** का कार्य किया गया।

- **पन्नालाल बारूपाल** एवं **कुम्भाराम लिफ्ट** योजनाओं के पम्पिंग स्टेशनों पर बाउल एसेम्बली बदल कर एवं विद्युत भार मे वृद्धि कर पम्पों की क्षमता में वृद्धि की गई। परियोजना मे अधिशेष पाईपों तथा अन्य सामग्री की नीलामी की गई। नहरों की सिल्ट सफाई, लाईनिंग/डावल मरम्मत की गई।

बाल विकास विभाग

- 0 से 3 वर्ष के **1647979 बच्चों एवं** 3 से 6 वर्ष के 990971 बच्चों को **पूरक पोषाहार** उपलब्ध कराया।
- 831255 गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा 53109 किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया।
- **शालापूर्व शिक्षा** में 3 से 6 वर्ष के 1039392 बच्चों को लाभान्वित किया गया।

महिला अधिकारिता विभाग

- 3417 जोडों को **सामूहिक विवाह अनुदान** योजना से लाभान्वित किया गया।
- 16045 **नवीन स्वयं सहायता** समूहों का गठन किया गया।
- 11025 **स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिकेंज** से जोड़ते हुए 81.89 करोड़ रूपये के ऋण संबंधित वित्तीय संस्थाओं से उपलब्ध करवाये गये।